मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं कार्यवाही रिपोर्ट।

पृष्ठभूमि :–

भारत के उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जिले नैनीताल में स्थित नैनीताल नगर महत्वपूर्ण पर्वतीय पर्यटक स्थल है तथा यह जिले का मुख्यालय भी है। नैनीताल झील के चारो तरफ पहाड़ियों के मध्य नैनीताल झील स्थित है जो निकटवर्ती वन एवं पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले जल से वर्ष भर जल से भरी रहती है। नैनीताल नगर एवं आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार, खर्सु, मोरू, बांज ओक, काफल, सुरई तथा अन्य वृक्ष एवं हिसालू, किल्मोड़ा, मेहल आदि झाडियाँ पाई जाती हैं तथा उक्त EVERGREEN वृक्ष एवं झाड़ियों के कारण सम्पूर्ण नगर हरियाली से युक्त रहता है तथा अत्यन्त आकर्षक लगता है। नैनीताल नगर सामान्यतः लगभग 6000 फीट की ऊँचाई पर है तथा शीतकाल में यहां बर्फ बारी भी होती है। जिले का मुख्यालय तथा उत्तराखण्ड को प्रमुख पर्यटक स्थल होने के कारण यहां पर होटल रिजॉर्ट एवं निजी आवास आदि के निर्माण के लिए स्थानीय एवं बाहरी व्यक्ति/उद्यमी भूमि कय करके निर्माण का प्रयास करते हैं। नगरीय आबादी होने के कारण स्थानीय रेस्टरा होटल/ग्रामीण/नागरिक आदि भी अपनी लघु ईधन सम्बंधी आवश्यकता की पूर्ति भी वन क्षेत्र से करने का प्रयास करते हैं।

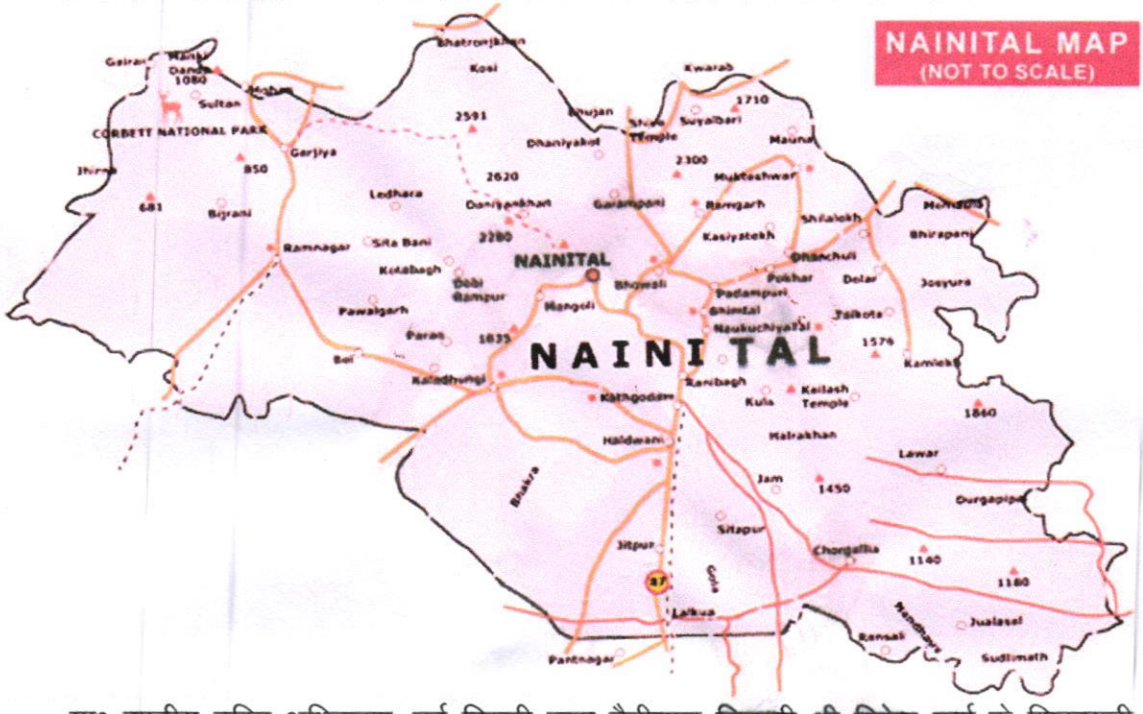

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नैनीताल निवासी श्री विवेक वर्मा के शिकायती पत्र दिनांक 29.04.2022 का संज्ञान लेते हुये नैनीताल शहर/नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित कमशः निकट अरोमा होटल, धामपुर बैंड, टिफिनटॉप, लैण्डसएण्ड एवं किलबरी रोड आदि स्थानों पर वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में दिनांक 01.09.2022 को आदेश दिये गये जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है :–

Prima Facie, the allegations made inthe application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments speified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constitued to verify the factual position and take remedical action. According we constiute a Joint Committee comparising of representatives of Pricipal Chief Conservator of Forests (HOFF), Government of Uttarakhand, State PCB and Divisional Commissioner, Kumaon Division and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant, verify the factual positon and take appropriate remedial action after following due process of law and submit its Factual and Action T aken Report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 24.11.2022

मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

उक्त आदेशों के कम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–615/2022/955 दिनांक 12.09.2022 द्वारा डॉ0 डी0के0जोशी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र पी0ओ0/88 दिनांक 14.09.2022 द्वारा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल तथा आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के पत्र 3370 छब्बीस–3/2021–22 दिनांक 16.09.2022 द्वारा श्री जीवन सिंह नग्नयाल, अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल को उक्त गठित समिति में अपना प्रतिनिधि नामित किया गया।

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी के पत्र UKPCB/ROH/रिट/22/1582–590 दिनांक 16.09.2022 द्वारा नामित प्रतिनिधियों की प्रारम्भिक बैठक आयुक्त कार्यालय, नैनीताल में दिनांक 22.09.2022 को की गई जिसमें अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, तहसीलदार, नैनीताल, वन क्षेत्राधिकारी, नगर पालिका रेंज, नैनीताल वन प्रभाग एवं अन्य उपस्थित रहे। बैठक दौरान प्रत्येक विषय पर चर्चा की गई तथा मूल आवेदनकर्ता श्री विवेक वर्मा को पत्रांक यू0के0पी0सी0वी0/आर0ओ0एच/रिट/22/1628–605 दिनांक 22.09.2022 द्वारा पूर्व सूचना दी गई तथा समिति द्वारा दिनांक 23.09.2022 को आवेदन पत्र में अंकित स्थलों तथा जिन अन्य स्थलों के बारे में शिकायतकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया सभी का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में नामित प्रतिनिधियों सहित निम्न अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे :–

1. श्री मान सिंह, वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत, नैनीताल।
2. श्री जीवन सिंह नगन्याल, अपर आयुक्त कुमाऊँ।
3. डा0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
4. श्री विवेक वर्मा, शिकायतकर्ता, नैनीताल।
5. श्री अशोक वर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. श्री नवाजिक खलिक, तहसीलदार, नैनीताल।
7. श्री प्रमोद तिवारी, वन क्षेत्राधिकारी, नगर पालिका रेंज, नैनीताल वन प्रभाग।

प्रत्येक क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र अन्तर्गत वृक्षों के पातन आदि के सम्बंध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 885/21–5 दिनांक 01.10.2022 द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल के पत्रांक 551/29–3(3) दिनांक 01.10.2022 द्वारा समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई **(संलग्नक–3)**। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा मूल आवेदनकर्ता की शिकायत के कम में प्रत्येक मामले में वन विभाग के स्तर से स्थानीय स्तर पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त मौके पर पायी गई स्थिति तथा इस सम्बंध में प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्यवाही आदि का पूर्ण विवरण प्रत्येक क्षेत्रवार निम्नवत है :–

1. **<u>अरोमा होटल नैनीताल के समीप वृक्षों का अवैध पातन के संबंध में–</u>**

   उक्त के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भू–माफियाओं द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अरोमा होटल के समीप लगभग 09 वृक्षों का अवैध पातन कर दिया गया है, जिसमें कुछ संरक्षित प्रजाति के वृक्ष भी थे। तद्कम में निरीक्षण के समय अरोमा होटल, नैनीताल के समीप निम्न प्रजाति के कुल 08 वृक्षों का पातन पाया गया–

   1. काकीस 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 04 वृक्ष हरा
   2. काकीस 10–20 से0मी0 व्यास वर्ग = 02 वृक्ष हरा
   3. अंगू 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा।
   4. खरसू 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा।

   कुल = 08 वृक्ष

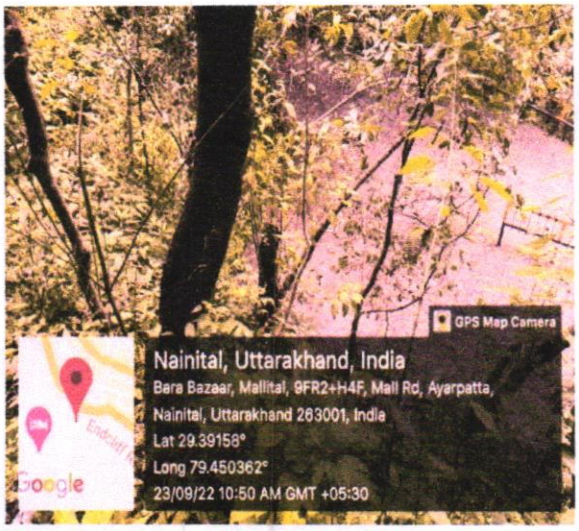

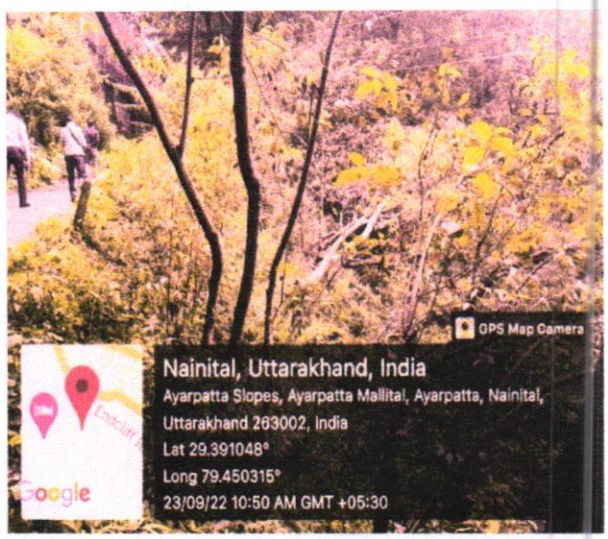

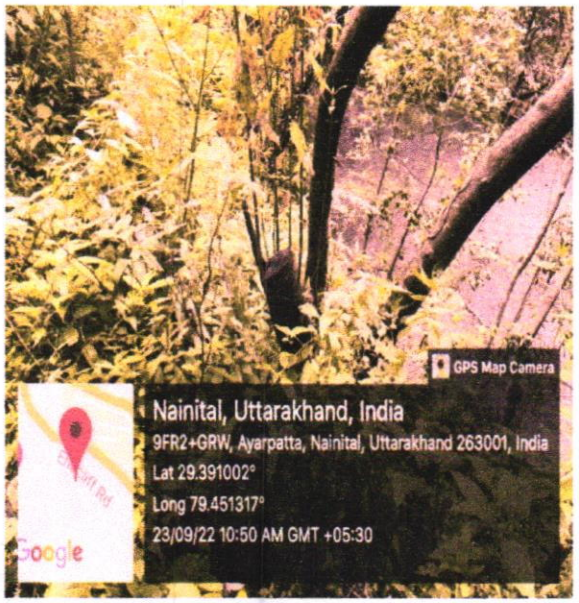

उपरोक्त वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में वन विभाग के नामित अधिकारी द्वारा मौके पर कृत कार्यवाही के संबंध में साक्ष्यों के साथ अवगत कराया गया कि वन क्षेत्राधिकारी नगर पालिका, राजि नैनीताल द्वारा वन अपराध संख्या–04/न0 पा0 2022–23 दिनांक 13.04.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 धारा–32/33 तथा न0 पा0 बाईलोज 1916 के तहत अज्ञात के विरूद्ध वन अपराध पंजीकृत किया गया है।**(संलग्नक–4)**

वन क्षेत्राधिकारी नगर पालिका राजि द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या– 493/27–1 दिनांक 13.04.2022 द्वारा थाना अध्यक्ष, मल्लीताल, जिला–नैनीताल को इस प्रकरण में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु पत्राचार किया गया था। **(संलग्नक–5)**

प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार/नगर पालिका परिषद नैनीताल के स्वामित्व वाली नजूल भूमि है, जिस पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1988 के प्राविधान लागू होते है। साथ ही अवगत कराया गया कि

नगर पालिका नैनीताल के वनों का हस्तान्तरण वर्ष 1976 में शासनादेश सं0–1346/14–तीन–37/72 दिनांक–29 मई, 1976 के द्वारा वन विभाग को किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित नजूल भूमि का स्वामित्व पूर्ववत शासन एवं नगर पालिका में निहित रहेगा। **(संलग्नक–6)**

2. **<u>धामपुर बैंड/मोदी भवन के आस–पास के क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति के वृक्षों का अवैध पातन के संबंध में–</u>**

उपरोक्त के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि धामपुर बैंड/मोदी भवन के आस–पास के क्षेत्र पर भू–माफियाओं द्वारा लगभग 10 संरक्षित प्रजाति के वृक्षों का अवैध पातन कर दिया गया है। निरीक्षण के समय धामपुर बैंड/मोदी भवन के आस–पास नाप भूमि में 07 सुरई के हरें वृक्षों को गर्डलिंग कर सुखाने की कोशिश की गयी थी, जिसमे निम्न प्रभावित वृक्ष देखे गये–

1. सुरई 40–50 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
2. सुरई 30–40 से0मी0 व्यास वर्ग = 02 वृक्ष हरा
3. सुरई 20–30 से0मी0 व्यास वर्ग = 03 वृक्ष हरा
4. सुरई 10–20 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा

कुल = 07 वृक्ष

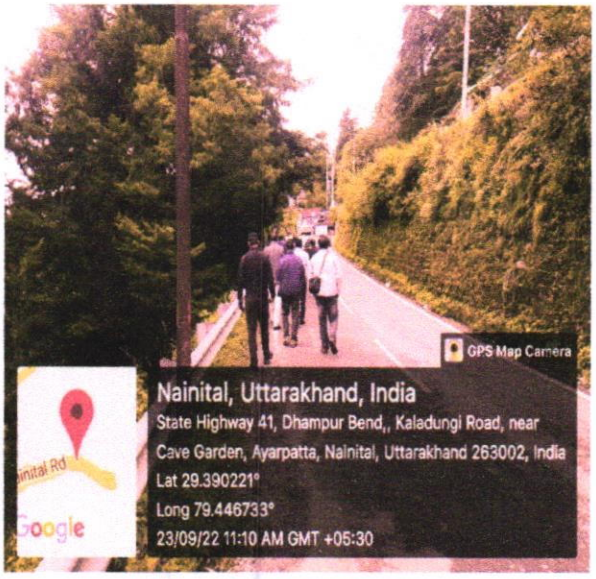

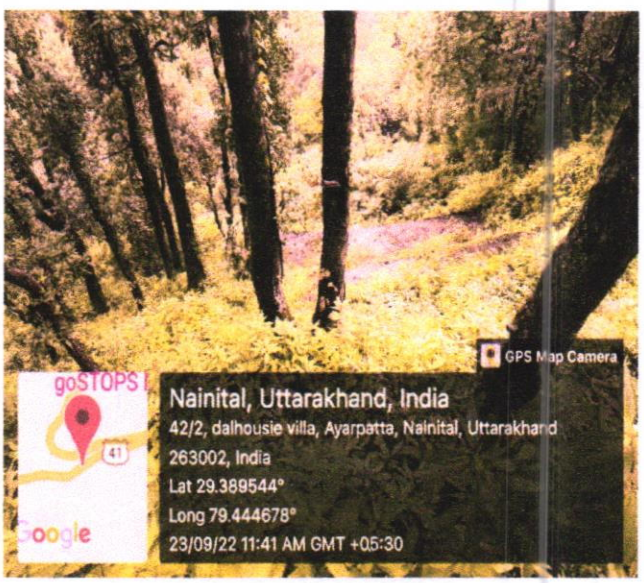

निरीक्षण के दौरान देखा गया कि 07 वृक्षों कि गर्डलिंग की गयी थी, जिन पर वन विभाग द्वारा मौस लगाने के बाद घाव भरे गये है तथा सभी वृक्ष स्वस्थ्य/जीवित/हरे खडे देखे गये। अवैध गर्डलिंग के संबंध में म्यूनिसिपल बाय लौज 1916 के अन्तर्गत दिनांक 02.04.2022 को एक लाख रूपया जुर्माने के रूप में वसूला गया। **(संलग्नक–7)**

उक्त वृक्षों में की गयी गर्डलिंग के संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), देहरादून को दिनांक 04.04.2022 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। **(संलग्नक–8)**

3. **टिफिन टॉप, लैण्डसएण्ड एवं किलबरी रोड पर वृक्षों का अवैध पातन के संबंध में–**

निरीक्षण के समय टिफिन टॉप, लैण्डसएण्ड में समिति को 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग के 02 पुराने कटे पोल वृक्ष आयु लगभग 02 वर्ष पाये गये तथा अन्य किसी प्रकार का अवैध पातन नहीं पाया गया। किलबरी रोड़ में भी किसी भी प्रकार का अवैध पातन निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया।

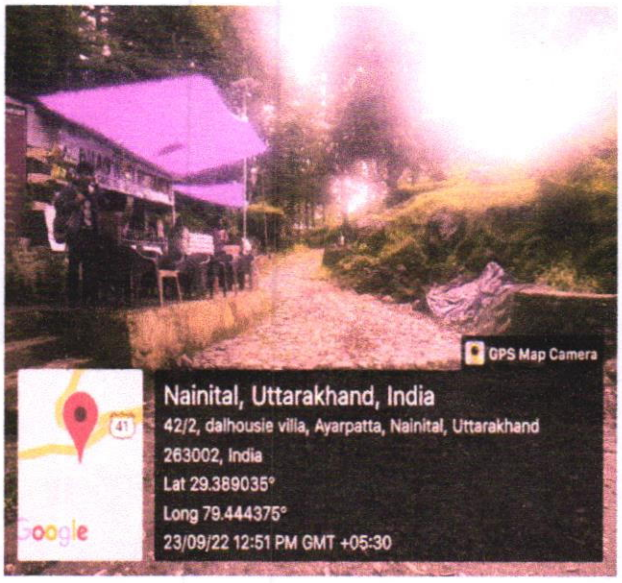

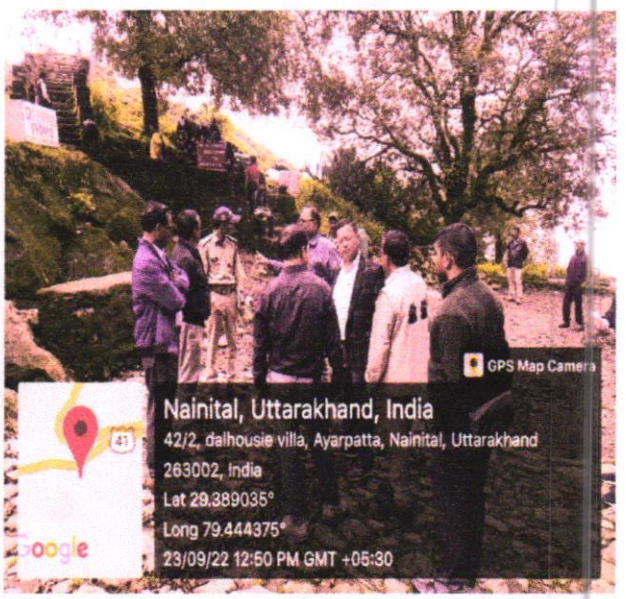

इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के साथ निम्न स्थानों का भी निरीक्षण किया गया है।

4. **सूखाताल कार पार्किंग स्थल**– उक्त स्थल पर शिकायतकार्ता द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण संस्था, कु0मं0वि0नि0लि0, नैनीताल द्वारा निर्माण हेतु वृक्षों का पातन किया गया है। निरीक्षण के दौरान वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 1. पौपुलर वृक्ष 40–50 से0मी0 व्यास वर्ग (01 वृक्ष हरा) 2. पौपुलर वृक्ष 20–30 और 30–40 से0मी0 व्यास वर्ग (16 वृक्ष सूखे) कुल 17 वृक्षों का पातन पार्किंग स्थल, सूखाताल झील में रिचार्जिंग जोन तथा टूरिस्ट स्थल विकसित करने के लिए किया गया है। कु0मं0वि0नि0लि0, नैनीताल आवेदन उपरान्त वन विभाग ने अपने कार्यालय पत्र सं0–5436/31–1 दिनांक–26.05.2022 से नियमानुसार अनुमति प्रदान किया है। **(संलग्नक–9)**

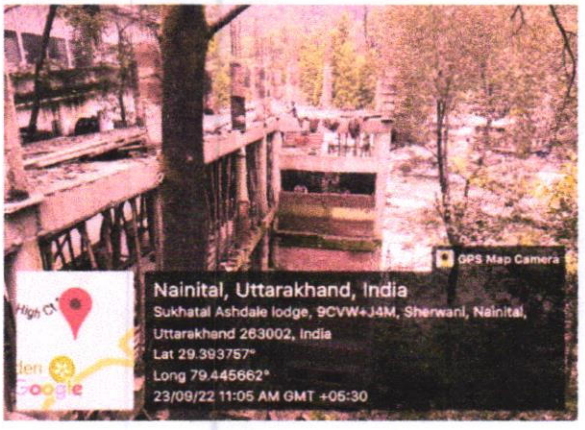

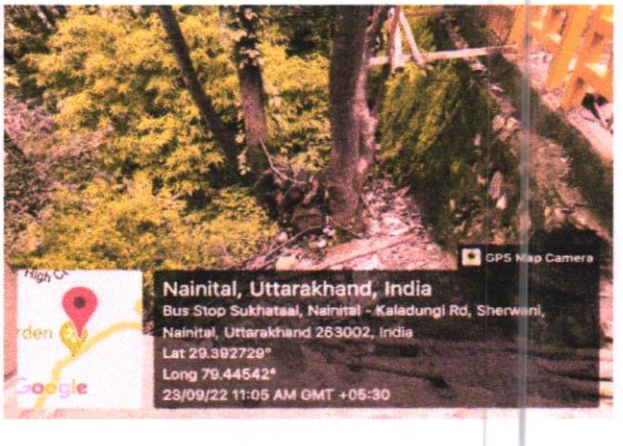

5. स्नोडन कम्पाउण्ड के पास–

शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि स्नोडन कम्पाउण्ड के पास भी नाप भूमि में वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्नोडन कम्पाउण्ड के पास नाप भूमि में कतिपय वृक्षों का पातन निम्न अनुसार पाया गया। **(संलग्नक–10)**

1. पदम 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
2. मकौल 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
3. खरसू 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 05 वृक्ष हरा
4. खरसू 20–30 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
5. खरसू 30–40 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा

कुल = 09 वृक्ष

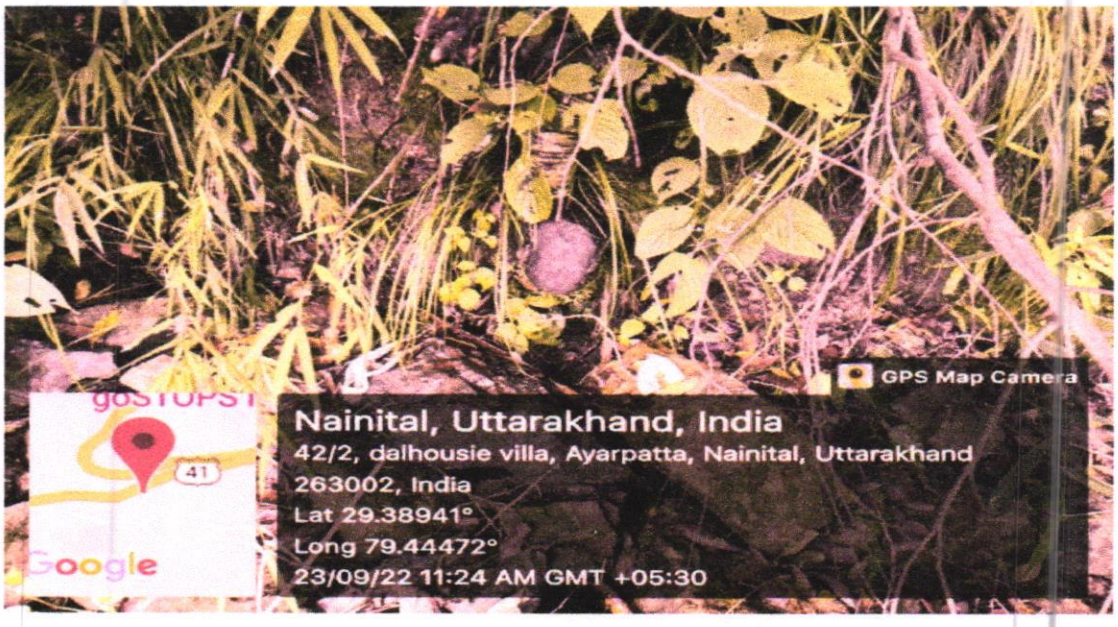

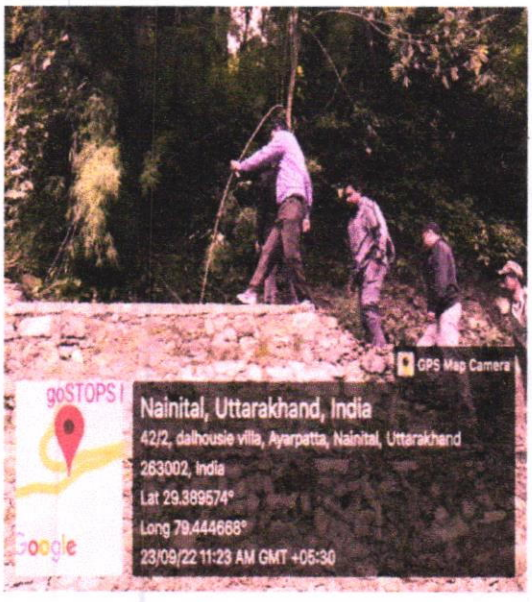

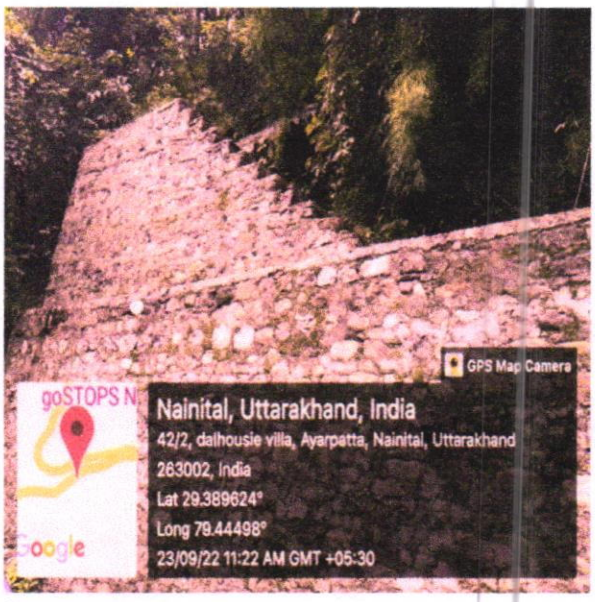

प्रश्नगत नाप भूमि पर जाने के लिए मुख्य मार्ग (नैनीताल–कालाढुँगी मार्ग) से लगभग 20 मीटर सीढीनुमा लगभग 04 फिट चौड़ा एप्रोच रास्ता बनाया गया है। मौके पर विद्युत/जल संयोजन भी देखा गया। पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा खरसू प्रजाति का 20–30 व्यास सेमी0 का एक वृक्ष कटे पाये जाने पर वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि0, नैनीताल द्वारा वन अपराध सं0–05/9–प0 दिनांक–20.04.2022 के द्वारा अज्ञात के नाम नगर पालिका बाईलॉज 1916 के तहत वन अपराध पंजीकृत किया गया। **(संलग्नक–11)**

5. होली ऐंजिल्स स्कूल के पास– निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के द्वारा होली ऐंजिल्स स्कूल के पास पूर्व में कटे वृक्षों के सम्बन्ध में शिकायत की गयी। मौके पर पूर्व में कुछ कटे वृक्षों के खूंट देखे गये जिनका विवरण निम्नवत है :–

1. काकीस 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 06 वृक्ष हरे
2. तिलौंज 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 05 वृक्ष हरे।

कुल = 11 वृक्ष

स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं देखा गया। क्षेत्र में झाड़ी आदि बहुतायत में हैं।

वन विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि इस स्थल पर अवैध पातन के सम्बंध में वन विभाग द्वारा अपराध संख्या–34/न0पा0/दिनांक–02 नवम्बर, 2021 नगर पालिका वाईलॉज 1916 के तहत मनोज कुमार केयरटेकर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है तथा अपराधी द्वारा जुर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप जुर्माने के रूप में ई0–3 सं0–33637 दिनांक–11 नवम्बर, 2021 द्वारा पॉच हजार रू0 प्राप्त कर केस प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रशमित किया गया।**(संलग्नक–12)**

प्रकरण के मुख्य बिन्दु , मौका स्थिति, कृत कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु तथा अवैध पातन आदि की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय/सुझाव :–

1. समिति द्वारा देखा गया कि नैनीताल नगर के स्थानीय निवासी, प्रेस एवं मीडिया हरे वृक्षों के कटान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तथा विभाग को अधिकांश मामलों में स्थानीय सहयोग तथा उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हरे वृक्षों के पातन आदि की सूचनाऐं प्राप्त होती रहती हैं तथा अधिकांश मामलों में वन विभाग के स्तर से जुर्म इत्यादि पंजीकृत करते हुए तथा जुर्माना वसूलते हुए रोकथाम की कार्यवाही की गई है। वन विभाग को सतत रूप से क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए अपराध गठित होने के दौरान ही अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
2. वृक्षों के अवैध पातन की शिकायत प्राप्त होने की दशा में त्वरित कार्यवाही करने के लिए वन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन कर संचालन किया जायें, जो निगरानी हेतु अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों से सुसज्जित हो। प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज शिकायतों का व्यौरा व कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायें।
3. नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित हरित जोन व निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्रों का प्रचार–प्रसार हेतु सम्बन्धित होर्डिंग/सूचना बोर्ड लगाये जाये, जिसके लिए स्थानों का चिन्हिकरण किया जाना होगा।
4. विगत 20 वर्ष की गूगल इमेजरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आवासीय भवनों का प्रसार द्रुत गति से हो रहा है। नगर क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान वर्ष 1995 से लागू है जो वर्तमान में भी प्रभावी है। नये मास्टर प्लान में निर्माण कार्य में प्रभावी नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक तरीकों का भी समावेश किया जाना आवश्यक होगा।
5. नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत हरित जोन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध व कठोर दण्ड का भी प्राविधान रखा जाय।

6. पूर्व निर्मित भवन, जिन्हें मरम्मत व पुर्ननिर्माण की अनुमति दी जा रही है, पूर्व स्वीकृत एवं निर्मित क्षेत्रफल अनुसार हो, उसके अतिरिक्त निर्माण न हो।
7. नगर क्षेत्रान्तर्गत नजूल की भूमि का स्वामित्व शासन एवं नगर पालिका में निहित होने के कारण नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थित नजूल भूमि एवं नगर पालिका से बाहर की नजूल भूमि के वृक्षों के कटान पर नगर पालिका द्वारा भी दण्डात्मक एवं प्रभावात्मक कार्य किया जाना अपेक्षित होगा।

(डा0 डी0के0 जोशी)	(जीवन सिंह नगन्याल)	(मान सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड	अपर आयुक्त,	वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	कुमाऊँ	नैनीताल वन प्रभाग।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या- 518/2022 मे पारित आदेश दिनांक- 01-09-2022 के अनुपालन में आज दिनांक 23/09/2022 को गठित समीति के सदस्यो तथा मूल आवेदनकर्ता श्री विवेक वर्मा तथा अन्य की उपस्थिति मे निकट अरोमा होटल, धामपुर बैण्ड, मोदी भवन, किलबरीरोड तथा रोपट रॉप का स्थलीय निरीक्षण किया गया है. संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में उपस्थिति निम्नवत है —

क्र.सं. अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम विभाग हस्ताक्षर

सधन्यवाद
मनोज साह
जगाती
विवेक वर्मा

1. जी.एस. नगन्याल
2. (मान सिंह) CCF/CF
S. Kumar PCCF(HoFF) प्रतिनिधि
3. डा. डी. के जोशी RO PCB
4. प्रमोद चन्द्र तिवारी R.O.
5. हरीश चन्द्र पाण्डे ASO PCB
6. नन्दन सिंह नेगी H.T NTNL
7. अशोक कुमार वर्मा F.O NTL
8. TANZIM KHALID, TANSEEM NTL

संलग्नक-1

11

Item No.08 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

(By Video Conferencing)
Original Application No.518/2022

Vivek Verma ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand ...Respondents

Date of hearing: 01.09.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Applicant in person.

Application is registered based on a Letter Petition received by Post.

ORDER

1. Mr. Vivek Verma son of Late Shri Madan Mohan Lal Verma resident of H. No.191, Bada Bazaar Mallital, Nainital has sent the present letter petition, which is treated and registered as original application, complaining about unauthorised cutting of trees in forest area adjacent to Nainital city during the last few years. The applicant has submitted that some of the trees belonged to endangered species. The forest area is also getting damaged due to illegal felling of trees. Since Naini Lake gets recharged by forest areas around it, there is danger of loss of catchment area of Naini Lake due to destruction of forest area by illegal cutting of trees.

2. This Tribunal is empowered to *suo moto* take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in First Schedule of the National Green Tribunal Act, 2010 as held by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.*** This Tribunal can also take cognizance of such cases on the

basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation.

3. *Prima facie*, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and Divisional Commissioner, Kumaon Division and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant, verify the factual position and take appropriate remedial action after following due process of law and submit its Factual and Action Taken Report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. List for further consideration on 24.11.2022.

5. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and Divisional Commissioner, Kumaon Division by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September 01, 2022
AG

संलग्नक–2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 518/2002 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के अनुपालन में गठित समिति के सदस्यों एवं मूल आवेदनकर्ता की उपस्थिति में संयुक्त क्षेत्र भ्रमण दिनांक 23.09.2022 की कार्यवाही का विवरण –

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 518/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर से नामित प्रतिनिधियों तथा मूल आवेदनकर्ता एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 23.09.2022 को नैनीताल एवं आस–पास के क्षेत्र जिसमें वृक्षों के पातन आदि की शिकायत की गई थी, का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

प्रत्येक क्षेत्र के संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्न प्रकार मौके की स्थिति पायी गयी।

1. अरोमा होटल नैनीताल के समीप है वृक्षों का अवैध पातन – अरोमा होटल नैनीताल के समीप निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन पाया गया।

1. काकीस 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग	= 04 वृक्ष हरा
2. काकीस 10–20 से0मी0 व्यास वर्ग	= 02 वृक्ष हरा
3. अंगू 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग	= 01 वृक्ष हरा
4. खरसू 0–10से0मी0 व्यास वर्ग	= 01 वृक्ष हरा
कुल	**= 08 वृक्ष**

उपस्थित नगर पालिका के प्रतिनिधि न भूमि के स्वामी की स्थिति प्रथक से स्पष्ट करने वावत अवगत कराया।

2. सूखाताल कार पार्किंग स्थल (निर्माण संस्था, कु0मं0वि0नि0लि0 नैनीताल) द्वारा निर्माण हेतु वृक्षों का पातन – निम्न वृक्षों का पातन पार्किंग निर्माण, सूखाताल झील में रिचार्जिंग जोन तथा टूरिस्ट स्थल विकसित करने के लिए किया गया।

पौपुलर वृक्ष 40–50 से0मी0 व्यास वर्ग	= 01 वृक्ष हरा
पौपुलर 20–30, 30–40से0मी0 व्यास वर्ग	= 16 वृक्ष सूखे

3. धामपुर बैण्ड/मोदी भवन नैनीताल के पास नाप भूमि में 07 सुरई के हरे वृक्षों को गर्डलिंग कर सुखाने की कोशिश करना – निम्न प्रभावित वृक्ष देखे गये।

1. सुरई 40–50 से0मी0 व्यास वर्ग	= 01 वृक्ष हरा
2. सुरई 30–40 से0मी0 व्यास वर्ग	= 02 वृक्ष हरा
3. सुरई 20–30 से0मी0 व्यास वर्ग	= 03 वृक्ष हरा
4. सुरई 10–20 से0मी0 व्यास वर्ग	= 01 वृक्ष हरा
कुल	**= 07 वृक्ष**

07 वृक्ष की गर्डलिंग की गई थी जिनपर मौस घास लगाने के बाद घाव भर गये हैं तथा सभी वृक्ष हरे खडे देखे गये।

23/9/22

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
नैनीताल.

4. स्नोडन कम्पाउण्ड के पास नाप भूमि में अवैध पातन – निम्न वृक्षों का अवैध पातन पाया गया।

1. पदम 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
2. मकौल 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
3. खरसू 1–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 05 वृक्ष हरा
4. खरसू 20–30 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा
5. खरसू 30–40 से0मी0 व्यास वर्ग = 01 वृक्ष हरा

कुल = 09 वृक्ष

भूमि पर जाने के लिए मुख्य मार्ग से लगभग 20 मीटर सीढ़ीनुमा 4 फीट चौड़ा एप्रोच रास्ता बनाया गया है। भूमि पर बिजली व पानी का कनेक्शन भी देखा गया।

5. होली ऐंजिल्स स्कूल के पास वृक्षों का अवैध पातन – निम्न वृक्षों का अवैध पातन पाया गया।

1. काकीस 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 06 वृक्ष हरे
2. तिलौंज 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग = 05 वृक्ष हरे

कुल = 11 वृक्ष

भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ है।

6. टिफिन टॉप, लैण्डसएण्ड एवं किलबरी रोड पर वृक्षों का अवैध पातन – टिफिन टॉप, लैण्डसएण्ड भ्रमण के दौरान समिति को 0–10 से0मी0 व्यास वर्ग के 2 पुराने कटे पोल वृक्ष आयु लगभग 2 वर्ष पाये गये तथा अन्य किसी भी प्रकार का अवैध पातन नहीं पाया गया। किलबरी रोड में भी किसी भी प्रकार का अवैध पातन निरीक्षण में नहीं पाया गया।

उक्त निरीक्षण व अंकित विवरण से संतुष्ट होते हुए उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों, व्यक्तियों द्वारा निम्नानुसार हस्ताक्षर किये गये –

1:- प्रमोद चन्द्र तिवारी
वन क्षेत्राधिकारी

तहसीलदार
नैनीताल

EO
NPP NTL

R.O
PCB

23.9.22

वन संरक्षक,
[illegible] कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
नैनीताल.

संलग्नक-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

पत्रांक 885/21-5 दिनांक, नैनीताल 01/10/2022 ।

सेवा में,

वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त (नाम से)
उत्तराखण्ड नैनीताल।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद मूल आवेदन संख्या 518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस वन प्रभाग की नगरपालिका राजि नैनीताल अन्तर्गत दिनांक 13.04.2022 की रात्रि को अरोमा होटल मल्लीताल नैनीताल के समीप विभिन्न प्रजाति के वृक्षो का अवैध पातन पाया गया। जिसमें वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि नैनीताल द्वारा वन अपराध सं० 04/न० पा० 2022–23 दिनांक 13.04.2022 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 तथा न० पा० बाइलॉज 1916 के तहत अज्ञात के विरूद्व वन अपराध पंजीकृत किया गया। चूँकि अपराधी का पता ज्ञात न हो पाने के कारण वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि द्वारा **अपने कार्यालय पत्रांक सं0 493/27–1 दिनांक 13.04.2022 (छाया प्रति संलग्नक–01)** द्वारा थाना अध्यक्ष मल्लीताल जिला नैनीताल को इस प्रकरण में एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु पत्राचार किया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित भी किया गया था। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय **पत्रांक संख्या 4128 दिनांक 13.04.2022 (छाया प्रति संलग्नक–02)** से वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक नैनीताल को इस प्रकरण में एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु पत्राचार किया गया था, परन्तु आतिथि तक प्रकरण में न तो एफ० आई० आर० दर्ज की गई और न ही इस विषय में कोई पत्राचार किया गया है।

उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के **पत्रांक संख्या 4913/27–1 दिनांक 13.04.2022 (छाया प्रति संलग्नक–03)** के द्वारा तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी नैना राजि निवर्तमान वन क्षेत्राधिकारी भवाली श्रीमती ममता चंद को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जिसके क्रम में इनके द्वारा अपने कार्यालय **पत्रांक मैमो/27–1 भवाली रेंज दिनांक 15.09.2022** से जाँच कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। जिसके अंश निम्न प्रकार है– (छायाप्रति संलग्नक-04)

" इस प्रकार प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार/नगर पालिका परिषद, नैनीताल के स्वामित्व वाली नजूल भूमि है। जिस पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1988 के प्रविधान लागू होते है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा –4/10 का अपराध गठित होता है। उक्त संशोधन उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व हुए है, एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के तहत यथाप्रवृत्त रखते हुए वर्ष–2022 में अनुकूलित एवं उपान्तरित किया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में घटित अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा –4/10 का अपराध है एवं उक्त अपराध जमानतीय एवं प्रशमनीय प्रकृति का है। प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–39 एवं 40 के तहत स्थानीय नागरिको एवं ग्रामीणों के स्तर से किसी भी अभियुक्त की पहचान कर सूचित नही किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–4128 दिनांक 13.04.2022 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को पत्र लिख उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया था। पुलिस के स्तर से अग्रेत्तर जांच करवाया जाना भी आवष्यक प्रतीत हो रहा है। जिससे ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके प्रकरण की विवेचना समाप्त की जाती है।" **(छाया प्रति संलग्नक–05)**

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

नगरपालिका राजि नैनीताल के सूखाताल क्षेत्र में एक पापुलर वृक्ष 40–50 वर्ग व्यास सेमी0 का कटा पाया गया। जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि इस प्रकरण में इस कार्यालय की **पत्र संख्या 5436/23–1 दिनांक 26.05.2022 (छाया प्रति संलग्नक–06)** के द्वारा सहायक अभियन्ता, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम नैनीताल को सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एंव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तहत प्रदान की गयी थी।

वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि नैनीताल द्वारा धामपूर बैंड/मोदी भवन के समीप निजी नाप भूमि में 07 सुरई हरें के वृक्ष जो विभिन्न व्यास वर्ग के थे की गर्ड़लिंग करना पाया गया। जिसमें वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि नैनीताल द्वारा तत्काल **वन अपराध संख्या 02/न० पा० दिनांक 02.04.2022 (छाया प्रति संलग्नक–07)** अज्ञात के विरूद्ध नगरपालिका बाइलॉज 1916 के तहत वन अपराध पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में अन्तिम जाँच रिर्पोट में भूस्वामी श्री अपराजित जैमवाल हाल निवासी गाँधी नगर जम्मू को विभाग द्वारा अपराधी मानते हुए सम्बन्धित से **ई० 3 संख्या– 27046 दिनांक 11.04.2022** से एक लाख रूपया मात्र (100000.00) जुर्माना वसूल कर उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रश्मित किया गया एवं उक्त धनराशि को राजस्व में जमा किया गया तथा गर्डलिंग वाले स्थानो पर विभाग द्वारा वृक्षो के संरक्षण हेतु मौस घास से उपचारित किया गया है। वर्तमान में उक्त सभी वृक्ष स्वस्थ एवं हरे खड़े की स्थिती में है।

इसके साथ ही साथ स्नोडन कम्पाउण्ड के समीप धामपूर बैन्ड में खरसू प्रजाति का 20–30 वर्ग व्यास सेमी० का एक वृक्ष कटा पाया गया था। जिसके क्रम में वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका राजि नैनीताल द्वारा वन अपराध संख्या **संख्या 05/न० पा०/दिनाँक 20.04.2022 (छाया प्रति संलग्नक–08)** अज्ञात के विरूद्ध नगरपालिका बाइलॉज 1916 के तहत वन अपराध पंजीकृत किया गया है तथा जाँच गतिमान है। इसके अंतिरिक्त नगर पालिका राजि में होली एंजल्स के समीप विभिन्न व्यास वर्ग के तिलौंज एवं काकीस प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के कुल 11 पोल अवैध पातित किए गए हैं। जिसके विरूद्ध वन क्षेत्राधिकारी, नगर पालिका राजि द्वारा वन अपराध **संख्या 34/न० पा०/दिनाँक 02 नवम्बर, 2021** नगर पालिका वाईलॉज 1916 के तहत् श्री मनोज कुमार केयरटेकर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसको सम्बन्धित अपराधी द्वारा ई० – 3 संख्या 33637 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 से पांच हजार रू० मात्र (5000.00) राजस्व में जमा कर प्रकरण को उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रश्मित कर दिया गया है।

अतः महोदय उक्त प्रकरण की जाँच आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपंया प्रेषित सूचना का अवलोकन करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

एच०-९ संलग्नक-4

वन विभाग, उत्तरांचल, सर्किल प्रकाष्ठ सम्भरण वृत्त

नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

11

वन अपराध नगरपालिका प्रसूचना सं० दो (2) दिनांक 13-4-2022 रेंज नगरपालिका

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान अज्ञात

2- साक्षी का नाम स्वयम् पन दरोगा, बीट वाचर देवेन्द्र कुमार

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दि० 13-4-2022 को प्रातः श्रीमान् वनक्षेत्राधिकारी महोदय के व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई सूचना के आधार पर अरामा होटल मल्लीताल के पास नगरपालिका भूमि में वृक्ष निम्न प्रकार काटे गये।

(वृक्ष प्रजाति)	(व्यास वर्ग सेमी०)	(संख्या)
कॉकोरा हरा खड़ा	20-30	4
"	0-10	3
अंयार हरा खड़ा	20-30	1
		8 वृक्ष

4- मूल्य

5- चालान और अनुसंधान (इन्मीस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन भा० व० अ० 1927 की धारा 32/33 तथा नगरपालिका बायलौज 1916 के अन्तर्गत जुर्म इन्द्राज किया गया

Ranjeet Singh Thapa

(रणजीत सिंह थापा)

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और आदि का उल्लेख

[illegible] ... [illegible] की ... [illegible]

–:अंतिम जांच रिपोर्टः–

1. रेंज केस संख्या–04 / नगर पालिका / 2022–23
2. घटना का दिनांक– 12.04.2022
3. घटना का समय लगभग–1:00 AM
4. अभियुक्त का नाम–अज्ञात।
5. अपराध की धारा– भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–32 / 33 एवं नगर पालिका उपविधि (बायलॉज)–1916 (पंजीकृत अपराध के अनुसार)।
6. अपराध की धारा– विवेचना के उपरान्त, धारा–4 / 10, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976।

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्र संख्या–4913 / 27–1 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 12.04.2022 को नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत अयारपाटा क्षेत्र में वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त पत्र में अधोहस्ताक्षरी को सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये हैं, इस कारण प्रकरण में नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के द्वारा पंजीकृत वन अपराध की जांच भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है–

1– घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 12.04.2022 को नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत अयारपाटा क्षेत्र में निम्न प्रजाति के वृक्षों का अवैध पातन होना पाया गया था।

क्र0सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी में)	अभियुक्ति
1	काकीस	10–20	हरा खड़ा
2	अंगू	10–20	– " –
3	अंगू	10–20	– " –
4	काकीस	20–30	– " –
5	काकीस	20–30	– " –
6	काकीस	0–10	– " –
7	खरसू	0–10	– " –
8	काकीस	0–10	– " –

2– नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रकरण में रेंज केस संख्या–4 / नगर पालिका वन क्षेत्र / 2022–23 दिनांक 12.04.2022 को पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत अपराध मे घटना स्थल को नजूल दर्शाया गया है। अपराध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–32 / 33 एवं नगर पालिका उपविधि (बायलॉज)–1916 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

घटना स्थल का निरीक्षण– अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.04.2022 को घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल नगर पालिका वन क्षेत्र कार्यालय से लगभग 03 किमी दूरी पर है। घटना स्थल तक पहुंचने के लिए नैनीताल–कालाढूंगी–बाजपुर मोटर मार्ग का उपयोग किया जाता है। नैनीताल स्थित मनू महारानी होटल से घटना स्थल को एक संकरी सड़क जाती है। निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी के साथ श्री दया शंकर, उपराजिक, नैना रेंज, श्री चन्दन सिंह रावत, वन दरोगा, श्री जगदीश जोशी, वन दरोगा, नैना रेंज एवं श्री रणजीत थापा, वन दरोगा, नगर पालिका रेंज मौजूद थे। घटना स्थल पर श्री मनोज साह जगाती, सभासद, वार्ड नं0–8, अयारपाटा, नगर

पालिका परिषद् नैनीताल भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में घटना स्थल पर पातित वृक्षों का मापन किया गया। मापन के उपरान्त निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन होना पाया गया है–

क्र0सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी में)	अभियुक्ति
1	काकीस	10–20	हरा खड़ा
2	अंगू	10–20	– " –
3	अंगू	10–20	– " –
4	काकीस	20–30	– " –
5	काकीस	20–30	– " –
6	काकीस	0–10	– " –
7	खरसू	0–10	– " –
8	काकीस	0–10	– " –

पातित किये गये वृक्षों से उत्पादित प्रकाष्ठ/जलौनी मौके पर ही मौजूद है। इस प्रकार घटना स्थल के निरीक्षण से यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकाश में आता है कि वृक्षों का पातन घरेलू उपयोग या प्रकाष्ठ के व्यसायिक उपयोग हेतु नहीं किया गया है। भूमि पर स्थित वृक्षों को हटाकर भूमि के उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करना प्रथम दृष्टया घटना स्थल के निरीक्षण से संज्ञान में आया है। घटना स्थल की जी0पी0एस0 N- $29^0$23' 37.60", E- 79^0 44.68" एवं उंचाई 2245 मीटर पायी गयी। घटना स्थल के पास होटल एरोमा स्थित है। जिसके कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना की कोई जानकारी न होना बताया गया। घटना के सम्बन्ध में होटल कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि होटल में 5 सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, और सभी कैमरे खराब हैं। श्री राजेश नरूला पुत्र स्व0 श्री वजीर चन्द्र नरूला, होटल लीज धारक द्वारा कोई भी सी0सी0टी0वी0 फुटेज उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। श्री राजेश नरूला पुत्र स्व0 श्री वजीर चन्द्र नरूला, होटल लीज धारक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 12.04.2022 की मध्य रात्रि 12:30 AM तक पर्यटक होटल के परिसर में जोकि घटना स्थल के ठीक उपर है, में कैम्प फायर का आनन्द ले रहे थे। इस प्रकार 12:30 AM तक उक्त क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं कटा था। श्री मनोज साह जगाती, सभासद, वार्ड नं0–8, अयारपाटा, नगर पालिका परिषद् नैनीताल द्वारा भी उक्त कथन की पुष्टि की गयी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के नगर पालिका वन क्षेत्र पाये जाने वाली वनस्पतियों एवं वृक्षों की सूची का अवलोकन किया गया। वन अपराध में जिस वृक्ष को काकीस प्रजाति का लिखा गया है, वह वास्तव में खागसी (Dogwood) है। जिसका वानस्पतिक Swida macrophylla नाम है। अंगू (Ash) का वानस्पतिक नाम Fraxineus micrantha है। इस प्रकार दर्ज अपराध में वर्णित काकीस प्रजाति वास्तव में खागसी (Dogwood) है। खरसू का वानस्पतिक नाम (Quercus semecarpifolia) है।

अभिलेखों का सत्यापन– अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल में जाकर श्री प्रमोद तिवारी, वन क्षेत्राधिकारी एवं श्री रणजीत थापा, वन दरोगा, नगर पालिका वन क्षेत्र से पूछताछ की गयी। दोनों अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर पालिका वन क्षेत्र में अधिसूचित संरक्षित वन की सीमा में स्थित नहीं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग की अधिसूचना संख्या–478/XIV/26 दिनांक 02.11.1909 द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1878 की धारा–28 के तहत जनपद नैनीताल के परगना छःकाता में स्थित नैनीताल नगर पालिका परिषद् से लगे वनों की सीमाओं का अवलोकन किया गया। वन क्षेत्राधिकारी, नगर पालिका वन क्षेत्र, नैनीताल द्वारा अवगत

कराया गया कि उक्त अधिसूचना से आच्छादित संरक्षित वनों में प्रश्नगत क्षेत्र/घटना स्थल सम्मिलित नहीं है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–3 की शासनादेश संख्या– 1346/14–तीन– 37/72 दिनांक 29.05.1976 का भी अवलोकन किया गया। जिसके तहत नगर पालिका, नैनीताल के वनों का हस्तान्तरण नैनीताल नगर पालिका नैनीताल से वन विभाग का हुआ है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित नजूल भूमि का स्वामित्व पूर्ववत् शासन एवं नगर पालिका में निहित रहेगा। जिसके प्रयोग/निवारण/निस्तारण का सर्वाधिकार नगर पालिका नैनीताल का इस शर्त पर होगा कि वन संरक्षण व विकास पर किसी भी प्रकार का कोई कुप्रभाव न पड़े। नगर पालिका प्रत्येक कार्य के लिए वन विभाग की राय व सहमति अनिवार्यता से लेगी। वृक्षों के निस्तारण व कटान आदि केवल वन विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि/घटना स्थल शासन/नगर पालिका, नैनीताल के स्वामित्व वाली नजूल भूमि होना प्रकाश में आया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर पालिका वन क्षेत्र के अन्तर्गत पातन हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का अवलोकन किया गया। नगर पालिका नैनीताल के स्तर से उक्त वृक्षों के पातन हेतु कोई प्रस्ताव वन विभाग को नहीं दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.04.2022 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नैनीताल को पत्र लिख उक्त भूमि के स्वामित्व की स्थिति एवं अवैध पातन पर उनके स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–4128 दिनांक 13.04.2022 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को पत्र लिख उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा थाना मल्लीताल में इस सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर पाया गया कि प्रकरण में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है।

ब्रिटिश कुमाऊँ के अन्तर्गत अधिसूचना–869/XIV दिनांक 17.10.1893 द्वारा गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिले में आरक्षित एवं नाप भूमि को छोड़ते हुए समस्त प्रकार की पनघट, गोचर एवं अन्य बेनाप जमीनों को संरक्षित वन घोषित किया गया है। इस प्रकार उक्त अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एवं नगर पालिका, नैनीताल के नियन्त्रणाधीन वनों पर भी लागू होता है। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित क्षेत्र राज्य सरकार के अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज होना संज्ञान में नहीं है। इस कारण भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–32/33 एवं नगर पालिका उपविधि (बायलॉज)–1916 का अपराध गठित नहीं होता है। इस कारण उक्त धाराओं को अपराध से पृथक किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित वृक्षों के निपातन एवं पुर्नआरोहण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 लागू किया गया था। मूल अधिनियम की धारा–2(सी) के अनुसार उक्त अधिनियम शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है एवं धारा–2(डी) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम राजकीय उद्यानों एवं राजकीय स्वामित्व वाली भूमि पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना–1425(2)/XVII-V-I-I(KA)-20-1998 दिनांक 29.07.1998 द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश वृक्ष

संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1998 प्रख्यापित किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम के धारा–4 में निम्न प्राविधान किये गये हैं–

4. In section 2 of the principal Act, for clauses (c) and (d) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) trees situate in cantonment area."

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार/नगर पालिका परिषद, नैनीताल के स्वामित्व वाली नजूल भूमि है। जिस पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1998 के प्राविधान लागू होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 का अपराध गठित होता है। उक्त संशोधन उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व हुए हैं, एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के तहत यथाप्रवृत्त रखते हुए वर्ष–2002 में अनुकूलित एवं उपान्तरित किया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में घटित अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 के अन्तर्गत अपराध है एवं उक्त अपराध जमानतीय एवं प्रशमनीय प्रकृति का है।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–22 के तहत इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे। इस प्रकार धारा–22 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के अतिरिक्त सम्बन्धित भू–स्वामी विभाग अपने नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में हुए अवैध पातन के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान (आई0पी0सी0) के तहत पुलिस या राजस्व विभाग में अपराध पंजीकृत करवा सकता है। जिस विभाग/राजकीय भूमि पर अवैध पातन हुआ है, उस विभाग की ओर से प्रकरण में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करवायी गयी है।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–16 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था मौजूद है–

16. अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी– *प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस–कांस्टेबिल, सहायक उद्यान–निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह–*

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे जो उसकी शक्ति में है।

उपरोक्त अपराध में वन कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के स्तर से न तो वृक्षों को पातन से संरक्षित किये जाने के लिए प्रयास किया गया है और न ही कोई पातन की सूचना प्रेषित की गयी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा अधिसूचित वृक्ष प्रजातियों से सम्बन्धित दरों का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अवैध पातन के प्रकरण में पातित वृक्षों का मूल्य/क्षति का आकलन किया गया। अधिसूचित दरों के अनुसार कुल क्षति धनराशि 3225.00/– (तीन हजार, दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) रूपये पायी गयी है। स्थायी आदेश के साथ संलग्न अनुसूचित दरों की सूची के अन्त में उल्लेखित बिन्दु संख्या–05 के अनुसार अवैध पातन किये गये वृक्षों के मूल्य का पांच गुना तक अर्थदण्ड प्रभागीय वनाधिकारी के विवेकानुसार अपराध की श्रेणी को देखते हुए निर्धारित किया जायेगा।

संदिग्धों की पहचान एवं धरपकड़ हेतु प्रयास– अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में लगातार अवैध पातन क्षेत्र में जाकर आस–पास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध व्यक्तियों/अवैध पातन में सम्मिलित अभियुक्तगणों की पहचान करने का प्रयास किया गया। घटना का सम्भावित समय मध्य रात्रि होने के कारण सम्भवतः कोई भी साक्षी मौके पर मौजूद नहीं रहा होगा। स्थानीय वन कर्मियों को भी निर्देशित किया गया था कि वे अपने स्तर से अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों की पहचान कर साक्ष्य जुटाने का प्रयास करें। घटना के सम्बन्ध में किसी भी स्थानीय नागरिक/सूचना प्रदाता द्वारा अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पते/पहचान को उजागर नहीं किया गया। घटना स्थल पर पातित किये गये वृक्षों का प्रकाष्ठ मौजूद होने से व्यवसायिक पातन या घरेलू उपयोग हेतु पातन का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं हो सका है। नजूल भूमि का स्वामित्व नगर पालिका में निहित होने के बावजूद भी नगर पालिका नैनीताल के सक्षम अधिकारियों के स्तर से जांच में न तो सहयोग दिया गया न ही पातित वृक्षों के सापेक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्थानीय वन कर्मियों, सूचना प्रदाताओं एवं घटना स्थल के समीप निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किसी भी अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पता प्रकट न करने से अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सभी प्रयास करने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य/जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

–:जांच परिणामः–

प्रश्नगत प्रकरण में जांच करने के उपरान्त यह भी प्रकाश में आया है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12.04.2022 के मध्य रात्रि के पश्चात उपरोक्त प्रजाति के 08 वृक्षों का अवैध पातन किया गया था प्रकरण में अवैध पातन होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.04.2022 से विधिवत जांच प्रारम्भ की गयी। प्रकरण में कोई भी औजार बरामद नहीं किया गया है। प्रकरण में काटे गये वृक्षों का प्रकाष्ठ मौके पर ही पड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वृक्षों का कटान न तो व्यवसायिक पातन की दृष्टि से किया गया था और न ही घरेलू/स्थानीय उपयोग के लिए किया जाना प्रकाश में आया है। जिन व्यक्तियों/सूचना प्रदाताओं प्रकरण में शिकायत की गयी थी उनके द्वारा भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के नाम व पते का खुलासा जांच अधिकारी के समक्ष नहीं किया गया है। इस प्रकार जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त अभियुक्त के रूप में नहीं हो सकी है।

प्रकरण में घटना स्थल नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के नियन्त्रणाधीन नगर पालिका वन क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन की सीमा में स्थित नहीं हैं। घटना स्थल को स्थानीय व्यक्तियों एवं स्थानीय वन कार्मिको के द्वारा भी नजूल भूमि बताया गया है। नजूल भूमि का स्वामित्व नगर पालिका परिषद नैनीताल में निहित है। नगर पालिका नैनीताल से पत्राचार करने के उपरान्त

Anand

एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर भी उनके स्तर से न तो कोई लिखित कार्यवाही की गयी और न ही जांच में किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त अवैध पातन के फलस्वरूप वृक्षों/वन सम्पदा की क्षति नगर पालिका परिषद नैनीताल की हुई है, क्योंकि उक्त भूमि उनके नियन्त्रणाधीन है एवं नगर पालिका का स्वामित्व उक्त भूमि पर निहित है। उक्त क्षेत्र नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अधीन कार्ययोजना का भाग भी नहीं है। नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के स्तर से उक्त क्षेत्र का प्रबन्धन नहीं किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना–1425(2)/XVII-V-I-I(KA)-20-1998 दिनांक 29.07.1998 द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1998 प्रख्यापित किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम के धारा–4 में निम्न प्राविधान किये गये हैं–

4. In section 2 of the principal Act, for clauses (c) and (d) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) trees situate in cantonment area."

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार/नगर पालिका परिषद, नैनीताल के स्वामित्व वाली नजूल भूमि है। जिस पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम–1998 के प्राविधान लागू होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 का अपराध गठित होता है। उक्त संशोधन उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व हुए हैं, एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के तहत यथाप्रवृत्त रखते हुए वर्ष–2002 में अनुकूलित एवं उपान्तरित किया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में घटित अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 की धारा–4/10 के अन्तर्गत अपराध है एवं उक्त अपराध जमानतीय एवं प्रशमनीय प्रकृति का है। प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–39 एवं 40 के तहत स्थानीय नागरिकों एवं ग्रामीणों के स्तर से किसी भी अभियुक्त की पहचान कर सूचित नहीं किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक– 4128 दिनांक 13.04.2022 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को पत्र लिख उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया था। पुलिस के स्तर से अग्रेत्तर जांच करवाया जाना भी आवश्यक प्रतीत हो रहा है। जिससे ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रकरण की विवेचना समाप्त की जाती है।

(ममता चन्द)
वन क्षेत्राधिकारी, नैना रेंज,
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

संलग्नक-5 (17) 24

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका वन क्षेत्र, नैनीताल

पत्रांक 493 /27-1 दिनांक 13 /04/2022.

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय :— प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2022 के रात में अरोमा होटल के पास नगरपालिका की नजूल भूमि में 07 वृक्ष काकीस तथा 01 अंगू के वृक्षों को अज्ञात व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा काट दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्र लिखने की कृपा करेंगे।

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र

कोतवाली - मल्लीताल
दिनांक 13/04/22
जनपद - नैनीताल

संलग्नक-6

25

(12)

सं0 1354/14-तीन-37/72

प्रेषक,

एन0पी0 त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक,
(कुमायूँ) उत्तर प्रदेश,
नैनीताल।

दिनांक/लखनऊ/मई 29, 1976

वन (3) अनुभाग

विषय:- नगरपालिका नैनीताल के वनों का वन विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6590/14-3-37/72 दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल नगरपालिका के वनों के प्रबन्ध आदि को वन विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लेते हुए नगरपालिका नैनीताल ने अपने प्रस्ताव सं० 7 दिनांक 30 सितम्बर, 1975 द्वारा वनों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तें लगायी थीं। वनों के हस्तान्तरण सम्बन्धी उक्त सन्दर्भित शासनादेश जारी करते समय उसमें यह कहा गया था कि नगरपालिका की शर्तों के बारे में शासन के आदेश बाद में प्रसारित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत वन मूलतः शासन में निहित थे और शासन की ओर से इन वनों का प्रबन्ध नगरपालिका नैनीताल को सौंपा गया था। अब इन वनों के हित को ध्यान में रखते हुए इनके समुचित प्रबन्ध व रखरखाव के लिए शासन ने वनों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है। ऐसी स्थिति में इन वनों के प्रबन्ध को वापस हस्तान्तरित करते समय नगरपालिका नैनीताल द्वारा किसी प्रकार की शर्त लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, चूंकि नगरपालिका नैनीताल द्वारा काफी लम्बी अवधि तक इन वनों का प्रबन्ध किया जाता रहा है अतः इन में नगरपालिका का हित भी स्वभावतः निहित हो गया है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन ने नगरपालिका के कथित प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों पर समुचित विचारोपरान्त प्रश्नगत वनों का वन विभाग द्वारा प्रबन्ध करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(1) वन विभाग इन वनों का प्रबन्ध वन संरक्षण व विकास तथा नगरपालिका नैनीताल के हित को ध्यान में रखते हुए ही करेगा। इस प्रबन्ध से नगरपालिका की हद और परिसीमा प्रभावित न होगी और अपरिवर्तित रहेगी।

(क्रमशः)

(2)

(2-) वन विभाग कोई भी पट्टा तथा निर्माण कार्य बिना नगरपालिका की पूर्व सहमति प्राप्त किये नहीं करेगा।

(3-) आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि का स्वामित्व पूर्ववत शासन एवं नगरपालिका में निहित रहेगा जिसके प्रयोग, निवारण एवं निस्तारण का सर्वाधिकार नगरपालिका नैनीताल का इस शर्त पर होगा कि वन संरक्षण व विकास पर किसी किस्म का कोई कुप्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वन संरक्षण व विकास पर कोई कुप्रभाव न पड़े, नगर पालिका हर कार्य के लिये वन विभाग की राय व सहमति अनिवार्यतः से लेगी। वृक्षों का निस्तारण एवं कटान आदि तो केवल वन विभाग के माध्यम से ही किया जायगा।

(4-) प्रश्नगत वन क्षेत्रों में स्थित खानों अथवा पर्वतों से पत्थर आदि निकालने के लिए नगरपालिका को एतदसंबंधी नियमों के अन्तर्गत कार्य करना होगा और भू-स्खलन को रोकने की दृष्टि से वन विभाग की पूर्व सहमति इस काम के लिये प्राप्त करनी होगी।

(5-) राष्ट्रीय पर्वों एवं सार्वजनिक उत्सवों पर गेट आदि बनाने हेतु रिंगाल जाड़ें में बिजली व पानी के नलों को पाले से बचाने हेतु हल्दू घास एवं अपने उद्यानों के रख-रखाव हेतु लाल मिट्टी, झाड़ी झाँकड़े आदि नगरपालिका इन वन क्षेत्रों से ले जा सकती है परन्तु ऐसा करने से पूर्व वन विभाग को पूर्व सूचना देना व उसकी लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6-) नगरपालिका नैनीताल द्वारा वन कर्मचारियों के लिये जो भवन बनाये गये हैं वे वन विभाग को, वनों के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों के लिये उपलब्ध रहेंगे और यह भवन भी नगरपालिका के वनों की भांति राज्य के वन विभाग को हस्तान्तरित समझे जायेंगे। नगरपालिका द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में निर्मित अन्य समस्त भवन, वन कर्मचारियों हेतु निर्मित उक्त भवनों को छोड़कर, नगरपालिका के स्वामित्व में ही रहेंगे।

(7-) प्रश्नगत वन क्षेत्र में स्थित कहाला व दुर्गापुर बगीचा नगरपालिका की सम्पत्ति पूर्ववत् बनी रहेगी। इसके नियंत्रण एवं निस्तारण का सर्वाधिकार नगरपालिका को ही होगा परन्तु इन क्षेत्रों में नगरपालिका के वनों के लिये जो नर्सरी पिछले वर्षों में बनायी गयी है उनका स्वामित्व वन विभाग में निहित समझा जायगा।

(8) आरक्षित वन क्षेत्रों एवं नजूल भूमि पर अपने व्यय से निर्मित अन्य भवन आदि का स्वामित्व नगरपालिका में निहित रहेगा। परन्तु उक्त भवनों के कम्पाउन्डों में स्थित वृक्षों का निस्तारण आदि वन विभाग की राय एवं सहमति से ही किया जा सकेगा। वृक्षों का निस्तारण भी वन विभाग द्वारा ही किया जायगा।

(क्रमशः ——3)

नगरपालिका के अन्दर, निजी वन, सभी निजी आहातो की भूमि एवं नजूल आदि पर खड़े वृक्षों तथा वनस्पतियों का अनिबन्धन, पर्वत वास्त्व सुरक्षा और सौन्दर्यात्मक प्रतिफलों के लिये सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ निजरोह रासदाण सहित रक्षित किया जायेगा तथा उसका रोपण किया जायेगा।

(10) प्रस्तर 9 में उल्लिखित भूमि पर खड़े वृक्षों के काटने एवं शाख तरासने की अनुमति वन प्रभागीय अधिकारी नैनीताल द्वारा वन संरक्षण व विकास तथा नैनीताल के सौन्दर्य को ध्यान में रखते हुए ही दी जायगी। नगर पालिका को इन पेड़ों को काटने की स्वीकृति देने का अधिकार कतई नहीं होगा।

(11) अपराधियों से निपटने हेतु पालिका उपविधियों के अन्तर्गत अधिकार वन विभाग के अधिकारियों को दिये जायेंगे। वन विभाग के अधिकारियों की सूची में वन रक्षक, फोरेस्टर, डिप्टी रेन्जर, रेन्जर, उप अरण्यपाल, अरण्यपाल, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य अरण्यपाल जिनका उक्त क्षेत्र में अधिकार है, को सम्मिलित समझा जायेगा।

(12) प्रश्नगत वनों से जो भी आय प्राप्त होगी वह वन विभाग के राजस्व में जायेगी।

(13) वन विभाग के अधिकारियों को उक्त वनों के निरीक्षण एवं जांच करने के लिये वे समस्त अधिकार होंगे जो कि नगरपालिका के अधिकारियों को थे। साथ ही साथ निरीक्षण आदि के लिये वन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को राजकीय वाहन नगरपालिका के अन्दर सभी सड़कों पर निःशुल्क ले जाने की सुविधा होगी।

2- मुझे यह कहना है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि नैनीताल नगरपालिका के वनों के प्रबन्ध आदि जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 से वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, के सम्बन्ध में उक्त निर्णय का अनुपालन किया जाय।

3- मुझे यह भी कहना है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29, दिसम्बर 1975 के पैरा -3 में नगरपालिका वनों के प्रबन्ध हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन पदों पर नगरपालिका नैनीताल के अधीन वनों के प्रबन्ध हेतु नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों का उल्लेख भी कर दिया गया था। उक्त आदेशों को दृष्टि में रखते हुए नगरपालिका नैनीताल के भूतपूर्व वन कर्मचारियों की वन-विभाग के अधीन पदों पर नियुक्ति अथवा वन विभाग की सेवा में उनके विलीनीकरण (absorption) के सम्बन्ध में आप कृपया अपनी आख्या शासन को अतिशीघ्र प्रेषित करने

(क्रमशः ——4)

का कष्ट करें । यदि पूर्व निर्गत आदेशों के कारण नगरपालिका के भूतपूर्व कर्मचारी को सेवा सम्बन्धी मामलों में हानि हो रही हो तो उसके निराकरण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आज्ञा व संस्तुति शासन को प्रेषित करें ।

भवदीय,

(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव

संख्याः 1346(1)/14-तीन-37/72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(2) आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल ।

(3) मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(4) अरण्यपाल, कुमायूँ वृत्त, उत्तर प्रदेश/उप अरण्यपाल, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

(5) जिलाधिकारी नैनीताल ।

(6) अध्यक्ष, नगरपालिका, नैनीताल ।

(7) सचिवालय के नगरपालिका अनुभाग-5 तथा (8) वित्त (व्ययन-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।

आज्ञा से,

(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव ।

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES IN RURAL AND HILL AREAS ACT, 1976

(U. P. Act No. 45 of 1976)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Gramin Aur Parwatiya Kshettra Men Vriksha Sanrakshan Adhiniyam*, 1967]

AN

ACT

to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees in rural and hill areas of Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Act not to apply to certain Areas.

2. This Act shall not apply to—

(*a*) trees situate in reserved and protected forests ;

(*b*) trees situate in a forest or forest land in respect of which any notification under the Indian Forest Act, 1927 as amended in its application to Uttar Pradesh is in force ;

(*c*) trees situate in urban areas ;

(*d*) trees situate in a Government garden or on land held by the Government.

Definitions.

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the context :—

(i) "blank area" means any piece of land (not being under cultivation) measuring one-half of a hectare or more, which has five or less trees growing on it ;

(ii) "Bhoomi Sanrakshan Adhikari" shall have the meaning assigned to it under the Uttar Pradesh Bhhomi Evam Jal Sanrakshan Adhiniyam, 1963 ;

(iii) "competent authority" means an authority appointed by the State Government by notification to perform the duties and exercise the powers imposed or conferred upon a competent authority by this Act ; and different competent authorities may be appointed in respect of different classes of timber, fruit and other trees, and for different purposes ;

(iv) "Divisional Forest Officer" means an officer incharge of a forest division and exercising jurisdiction over the area ;

(v) "fell a tree", with its cognate expressions, means cutting, girdling, lopping, pollarding or damaging a tree in any other manner ;

(vi) "Government garden" means a piece of land belonging to the Central or State Government used for growing flowers, fruit or vegetables or for planting or raising trees, and includes a grove land belonging to the Central or State Government ;

(vii) "hill area" means the districts of Almora, Pithoragarh, Garhwal, Chamoli, Tehri-Garhwal and Uttarkashi and the hill pattis of district Naini Tal and areas of Chakarata Tahisl and Mussoorie Municipal Board of Dehra Dun district but does not include any Cantonment area ;

[For Statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh *Gazette* (Extraordinary), dated March 31, 1976].

(Passed in Hind by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 8, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 10, 1976).

(Received the Assent of the Governor on November 19, 1976 under article 200, of the Constitution of India and was published in Part I (*a*) of the Legislatative Supplement of the Uttar Pradesh *Gazette* (Extraordinary), dated November 22, 1976).

(19)

30

No. 1425 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-21-1998

Dated Lucknow, July 29, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramin aur Parvatiya Kshetra Men Vriksha Sarnakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 28 1998.

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES IN RURAL AND HILL AREAS (AMENDMENT) ACT, 1998

[U.P. ACT No. 28 OF 1998]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of long title of U. P. Act no. 45 of 1976

2. In the long title of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, the words "rural and hill areas of" shall be *omitted*.

Amendment of section 1

3. In section 1 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976."

Amendment of section 2

4. In section 2 of the principal Act, *for* clauses (c) and (*d*) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*c*) trees situate in cantonment area."

Substitution of new section 24-A

5. *After* section 24 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"24-A On and from the commencement of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998, any reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976 in any law or statutory instrument shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976."

Transitory provision on the change of name of U. P. Act no. 45 of 1976

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस०यू० पी०—ए० पी० 84 सा० विधा०-(858)—1998—850 (मेक०)।

नगरपालिका में पाई जाने वाली वनस्पति की शब्दावली

1. वृक्ष

	स्थानीय नाम	अंग्रेजी नाम	वानस्पतिक नाम	अधिकार
	1	2	3	4
	अखरोट / अखोड़	Walnut	*Juglans regia*	L.
	अंगू	Ash	*Fraxinus micrantha*	Lingel.
	अन्जीर / बेडू / खेमड़ी / फेंटू / पेंटू	Fig	*Ficus palmata*	Forsk.
	अमड़ा / अम्बारा	Hog Plum	*Spondias pinnata*	(L.f)Kurz
	अमलतास	Indian Laburnum	*Cassia fistula*	L.
	अॅयार		*Lyonia ovalifolia*	(Wall.)Drude.
	आम	Mango	*Mangifera indica*	L.
	ऑवला	Indian Gooseberry	*Phyllanthus emblica*	L.
	उतीस	Alder	*Alnus nepalensis*	D.Don
	ककरा / काकड़		*Pistacia khinjuk*	Stocks
	कगू / कंडई / बेलगू	_	*Flacourtia Indica*	(Burm.f.)Merr.
	कचनार / क्वैराल		*Bauhinia variegata*	L.
	कटोंसा / कटोंनी / कटोंज		*Castanopsis tribuloides*	(J.E.Smith)A.DC
	कठ कौंकों / भम्बेला		*Euonymus pendulus*	Wall
	कठमहुवा / कठमालू / कठमौवा		*Glochidion velutinum*	Wight
	कठबेर		*Ziziphus xylopyra*	(Retz.)Willd.
	कठभोज / कठभुज / चमड़पर्यो	Low Level Birch	*Betula alnoides*	BuchHam.
	कंजीश / गरूड़ी		*Michelia kisopa*	BuchHam.
	कन्जू		*Holoptelea intergrifolia*	(Roxb.)Planch.
	कन्डेरू / कन्डेला	The Himalayan Holly	*Ilex dipyrena*	Wall.
	कनोल / गुरयाल		*Bauhinia purpurea*	L.
	कन्डलाव		*Bauhinia retusa*	BuchHam.
	कौंचुला	The Maple	*Acer caesium*	Wall.
	काफल		*Myrica esculenta*	Buch.Ham.

1	2	3	4
27	किमू	Wild mulberry	*Morus serrata*	Roxb.
28	किरमौला / फटगल / पुतली	The Maple	*Acer oblongum*	Wall.
29	कीन / पाम सेमल		*Bischofia javanica*	Blume.
30	कुनीस		*Alnus nitida*	Endl.
31	कुम कुम		*Ilex excelsa*	(Wall.)Hook.f.
32	कुम्भी		*Careya arborea*	Roxb.
33	कुम्हार		*Callicarpa arborea*	Roxb.
34	कुसुम		*Schleichera oleosa*	(Lour.)Oken
35	कैल	The blue pine	*Pinus wallichiana*	A.B.Jackson.
36	कौनेरा		*Albizia julibrissin*	Durazzini
37	कौल		*Persea odoratissima*	(Nees)Kost.
38	कौला / भदरोई / भदेड़		*Persea duthiei*	(King)Kost.
39	खजूर	The pygmy Date Palm	*Phoenix humilis*	Royle
40	खड़िक		*Celtis eriocarpa*	Decne.
41	खड़िक		*Celtis australis*	L.
42	खरडला		*Firmiana fulgens*	(Wall.)Cor.
43	खरसू	The Brown Oak	*Quercus semicarpifolia*	Sm.
44	खागसी	Dogwood	*Swida macrophylla*	(Wall.)Sojak
45	खीना		*Sapium insigne*	(Royle)Benth.
46	खुमानी	Apricot	*Prunus armeniaca*	L.
47	खेना / खनोई		*Ficus semicordata*	Buch.Ham.
48	खैर	The Kutch Tree	*Acacia catechu*	(L.f.)Willd.
49	गड़–पापड़ी तिरू	The Maple	*Acer cappadocicum*	Gleditsch
50	गड़भैंस / बैंस		*Salix disperma*	Roxb.
51	गडमेहवा / गडूमालू		*Engelhardtia spicata*	Lesch.
52	गड़मेहल		*Stranvaesia glucescens*	Lindl
53	गरूड़		*Olea glandulifera*	Wall.
54	गिवाई		*Elaeagnus parviflora*	Wall.
55	गुड़गुड़ाला / उड़ाला		*Sterculia villosa*	Roxb.
56	गुटेल		*Trewia nudiflora*	L.
57	गुल बहार		*Lagestroemia indica*	L.

एच०-९ संलग्नक-7 34

वन विभाग, उत्तरांचल, सर्किल प्रकाष्ठ सम्भरण वृत्त

नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

11 7

वन अपराध निजी भूमि प्रसूचना सं० सफ (1) दिनांक 02-04-2022 रेंज नगरपालिका

1- नाम, पिता का नाम और निवास - अज्ञात
स्थान

2- साक्षी का नाम स्वयम, बीट वाचर देवेन्द्र कुमार

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दि० 02-04-2022 को प्रात गश्त के दौरान श्री मनोज साह जगाती सभासद नगरपालिका परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि श्यामपुर बैंड के पास वृक्षों को नुकसान पहुँचाया गया है, सूचना के आधार पर हम श्यामपुर बैंड से लगभग 50 मीटर पहले सूखाताल की ओर मोटर रोड से निचे पहुँचे तथा पाया कि मौके पर निजी भूमि में सात (7) सुरई हरे वृक्ष 30-40 वर्ग सेमी. व्यास के 2, 10-20 का 1, 20-30 के 3 तथा 40-50 वर्ग व्यास के 1 कुल सात (7) सुरई वृक्षों की गडालगा (पेडों को चारों ओर से छिला) की गई है, जो कि म्यूनिसिपल बाय लॉज 1916 के अन्तर्गत अपराध है,

4- मूल्य

5- चालान और अनुसंधान (इन्वीस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन म्यूनिसिपल बाय लॉज 1916 के अन्तर्गत जुर्म इजराय किया गया
रेंज केस न. 01/ न०पा० नै०ता० 2022-23

Ranjeet Singh Thapa

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और आदि का उल्लेख प्रतिलिपि, क्षेत्राधिकारी (रणजीत सिंह थापा) श्री० क० डी० को भेजते हुये शीघ्र छानबीन का कार्य प्रसूचना प्रेषित है प्रेषित। व०द० लोंगस रेंज बीट

वन क्षेत्राधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

<u>अन्तिम प्रसूचना</u>

ई-ओ केस सं- 2/2021-22 निजी क्षति [illegible]

अपराधि का नाम - अपराजित जैसवाल / हिमांशु जैसवाल
निवासी गांधीनगर जम्मू पि. सं.-180004

साक्षी का नाम - स्वयं वनदरोगा श्री राजेश सिंह वाला वीर वाहन, देवेन्द्र कुमार

अपराध का पूरा विवरण- दि. 2-4-2022 को रामपुर बैंक क्षेत्र के गश्त के दौरान 7 [illegible] वृक्ष के गडलिंग किये हुए पाये, पूछताछ में भवन स्वामी ने बताया कि उक्त कार्य श्री अपराजित जैसवाल को ही श्री जैसवाल ने बताया कि उक्त कार्य गया है लेकिन मेरे द्वारा इस वृक्ष के जडों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गयी है। इस के न इनके क्षति पहुंचाने की कोई प्रयास नहीं किया गया है। महोदय इस कार्य नाराजि होने के कारण आपसे निवेदन करते हैं कि हम मुआवजा देने को तैयार हैं।
अतः अभियुक्त से रु 1 लाख रसीद सं. 27046 से दि. 11-4-2022 को वसूल किया गया है।
अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त वृक्ष केस को प्रशमित करने की कृपा करियेगा।

DR मद सं० 20/न०पा०/माह 4/2022 व ई-3 सं० 27046 दि० 11-4-2022 के अनुसार 100000/- (एक लाख मात्र) मुआवजा वसूल किया गया है।

[illegible] वन दरोगा [illegible]

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी जी
नैनीताल वन प्रभाग नै०
द्वारा - श्रीमान उप प्र० व० नैनीताल व०प्र०

महोदय,
पृष्ठांकित अनुसार जुर्म केस सं० 2/न०पा०/2022 (नी०प्र०) को रु० 100000/- (एक लाख) मुआवजे के रूप में वसूल किया गया है। मैं अधीन अधिकारी की जांच से सहमत हूं तथा इस केस को प्रशमित करने की संस्तुति करता हूं। मुआवजे की वसूली DR मद सं० 20/न०पा०/माह 4/2022 व ई-3 सं० 27046 दि० 11-4-2022 के [illegible] की गयी है।

[illegible]

02/04/न० पा०/ 02/04/22

मूल में R.O. न०पा० जाँच कर आख्या प्रस्तुत करें तथा अपराधी का पता ज्ञात कर सख्त-से सख्त कार्यवाही करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

02/04/न० पा०/ 02/04/22

R.O. न० पा० को Rs- 10,0000/- (एक लाख रु० मात्र) मूल के ई-उपचि 27846/ 11-4-22 के प्राप्ति उपरान्त सुरक्षित अभिलेख हेतु वापस

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

अग्रसारित / प्रेषित

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

विषय– **वृक्षो की छाल काटने का मामला ।**

महोदय,

हमारे द्वारा तिथि 03 अप्रैल 2022 तथा 05 अप्रैल 2022 के सन्दर्भ में आपको अवगत करना है कि हमारे प्लाट जो कि धामपुर बैन्ड मल्लीताल नैनीताल के समीप स्थित है। वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुरई के हरें वृक्षो की छाल नीचे से छिल कर वृक्षो को नुकसान पहुचाने का प्रयास किया गया है।

महोदय, हम जम्मू कश्मीर में रहते है और हमारा आना जाना बहुत कम रहता है, आप यकीन माने कि हमारी तरफ से ऐसा कृत्य करने की कोई मन्सा नही है और ना ही हमने ये कृत्य करवाया है, सुरई के वृक्षो अभी भी स्थल पर खड़े है और इन सुरई के वृक्षो को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।

महोदय हमारे द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से आपके कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त कृत्य ना ही हमारे द्वारा किया गया है और ना ही हमारे द्वारा उक्त कृत्य को कराने की मन्शा है। महोदय आपके विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त प्लाट को देखा है, महोदय आपके विभाग के कर्मचारियों द्वारा हमें मौखिक रूप से हमारे खिलाफ चालान का आदेश दिया गया था। महोदय हम अच्छे नागरिक होने के कारण आपसे निवेदन करते है कि हम उक्त चालान की धनराशि को जमा करने को तत्तपर है।

11/04/2022

प्रार्थी

Aparajit Singh

अपराजित सिंह जैमवाल
दिव्याशीष जैमवाल
निवासी– गांधी नगर जम्मू
पिन सं0– 180004
दूरभाष सं0–01912433582

सेवा में,
श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय,
नगरपालिका वन क्षेत्र नैनीताल

महोदय

दि० 02-04-2022 को गश्त के दौरान धामपुर बैंड के समीप एक भूखण्ड में सात (7) सुरई हरे वृक्षों की गडालिंग (चारों ओर से छिलकर) कर सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। जाँच करने पर श्रीमती संजीवनी राठौर धामपुर बैंड द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित भूखण्ड श्री अपरीजीत जैमवाल के नाम दर्ज है, सम्भवतः श्री अपरीजीत जैमवाल के द्वारा ही भूखण्ड में सात (7) सुरई वृक्षों को गडालिंग कर सुखाने का प्रयास किया गया है।

श्री अपरीजीत जैमवाल से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे लम्बे समय से क्षेत्र से बाहर हैं तथा उनके द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य (पेड़ों को गडालिंग करने) नहीं किया गया है, तथा 4-5 दिन के अन्दर नैनीताल आकर सम्पर्क करने हेतु कहा गया है।

अतः सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

4-04-2022

प्रार्थी
Ranjeet Singh Thak
(रणजीत सिंह थापा
व० र०
लैण्ड्सएण्ड बीट

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका वन क्षेत्र नैनीताल ।

पत्रांक 485 / 27-1 दिनांक, नैनीताल 4/3/ 2022 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

विषयः— **धामपुर बैन्ड मल्लीताल नैनीताल के समीप एक भूखण्ड में सात सुरई हरे खड़े वृक्षो को गड़लिंग कर सूखाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन है कि इस वन क्षेत्र के वन दरोगा श्री रणजीत सिंह थापा द्वारा अवगत कराया है कि दि0 02.04.2022 को गश्त के दौरान धामपुर बैन्ड के समीप एक भूखण्ड में सात सुरई हरे खड़े वृक्षो की गड़लिंग (चारो ओर से छिलकर) कर सूखाने का प्रयास किया जा रहा है। भूखण्ड के स्वामी का नाम पता न होने के कारण एच0 2 केश अज्ञात के नाम जारी किया गया। पुनः दिनांक 03.04.2022 को जॉच करने पर श्रीमती संजीतनी राठौड़ निवासनी धामपुर बैन्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित भूखण्ड श्री अपरिजीत जैमवाल के नाम दर्ज है। सम्भवतः श्री अपरिजीत जंगवाल के द्वारा ही भूखण्ड में सात सुरई हरे खड़े वृक्षो को सूखाने का प्रयास किया गया होगा। सम्बन्धित क्षेत्र का निरिक्षण आपके द्वारा भी दिनांक 03.04.2022 को किया गया।

श्री अपरिजीत जैमवाल से दूरभाष पर श्री रणजीत सिंह थापा वन दरोगा द्वारा सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया कि वे लम्बे समय से क्षेत्र से बाहर है तथा उनके द्वारा भूखण्ड में वृक्षो की गड़लिंग करने का कोई कार्य नही किया गया है तथा 4–5 दिवस के अन्दर नैनीताल आ कर सम्पर्क करने हेतु कहा गया है।

दिनांक 04.04.2022 को थाना प्रभारी कोतवाली मल्लीताल नैनीताल में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने पर थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम दृष्टाया यह जुर्म वन विभाग से सम्बन्धित है। अतः आप स्वंय अपने स्तर से जुर्म की विवेचना करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र, नैनीताल।

अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नैनीताल वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नैनीताल नगर तथा आस–पास के क्षेत्रों में विद्यमान निजी भूमि में स्थित हरे–खड़े वृक्षों का अवैध कटान अथवा गर्डलिगं कर वृक्षों का सुखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वृक्ष विहीन भूमि का किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सके। उल्लेखनीय है कि बिना प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति के किसी भी वन क्षेत्र में किसी प्रकार के वृक्षों का पातन, गर्डलिगं, शाख तराशी, जड़ खुदान, वृक्षों में तार बाँधना, या अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाना अवैध वन अपराध की श्रेणी में आता है तथा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, म्यूनिसपल बाईलौज तथा जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः समस्त नागरिकों से अपील है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उनकी निजी भूमि में विद्यमान हरे खड़े वृक्षों का पातन, वृक्षों की गर्डलिगं, शाख–तराशी, जड़–खुदान या अन्य किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचायें, यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई कृत्य संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं और प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार के अपराध में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध वन विभाग के साथ–साथ प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन से उक्त भूमि पर किये गये निर्माण आदि कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही करवायी जायेगी साथ ही आम जनता से यह भी अनुरोध है कि यदि आप अपने आस–पास किसी व्यक्ति को इस प्रकार का अपराध करते हुए पाते हैं तो उसकी सूचना तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग के कार्यालय को या सीधे अधोहस्ताक्षरी को देने की कृपा करें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतया गोपनीय रखते हुए ऐसे व्यक्ति को पुरूस्कृत किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष / फैक्स सं0– 05942–235452,ई–मेल– cf_skumaon@rediffmail.com

संख्या–2014 / 21–5 दिनांक: नैनीताल: 07 अप्रैल, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,(नाम से)
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः नैनीताल के ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में पेड़ों को सुखाकर प्लाटिंग किये जाने का प्रयास।

सन्दर्भ :– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्रांक 3338 / 21–5 दिनांक 05.04.2022.

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल का सन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है की छाया प्रति मय संलग्नक के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार **दिनांक 03.04.2022 को "हरे पेड़ सुखाने के लिए छलनी किये जा रहे तने" तथा दिनांक 04.04.2022 को "जंगल काटने वालों पर नहीं हो रही कार्यवाही"** सम्बंधी प्रकरणों पर गम्भीरता से जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही / जांच से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि उच्च स्तर को अवगत कराया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

To camp (Urgent)

भवदीय,
(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

R.O. – मैमो / 21-5 दि0 20/04/22
प्रति– R.O. का0 क्षेत्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करें ताकि कार्यवाही से व0 सं0 द0 कु0 वृत्त महोदय को अवगत कराया जा सके। (संलग्न – यथोपरि)

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
20/4

ON
कार्य वार्ता OT
Action

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका वन क्षेत्र नैनीताल ।

पत्रांक 509/27=1 दिनांक, नैनीताल 29/4/ 2022 ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

विषयः– **नैनीताल के ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में पेड़ो को सुखाकर प्लाटिंग किये जाने का प्रयास।**

सन्दर्भः– **वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल की पत्र सं0 2014/21–5 दि0 07.04.2022 व आपकी पत्र सं0 मैमो/ 21–5 दि0 20.04.2022**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम निवेदन है कि दि0 02.04.2022 को श्री रणजीत सिंह थापा वन दरोगा द्वारा अवगत कराया है कि धामपुर बैण्ड मल्लीताल नैनीताल के समीप भूखण्ड में 07 सुरई हरे वृक्षो की गडलिंग कर सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। भूखण्ड स्वामी का पता करने पर श्रीमती संजीवनी राठौड़ निवासी– धामपुर बैण्ड मल्लीताल नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड श्री अपराजित जमवाल गांधीनगर जम्मू के नाम है। श्री अपराजित जमवाल से सम्पर्क करने पर भूखण्ड स्वामी द्वारा रू0 100000.00 (रूपया एक लाख मात्र) जुर्माना जमा कर दिया है तथा गडलिंग वाले स्थान पर मौस घास तथा मिट्टी से उपचारित कर दिया गया है। जिसके फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार जॉच आख्या महोदय की सेवा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षेत्र, नैनीताल।

D.C

संलग्नक-8

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः— 4046 / 21-5 दिनांक 04/04/2022

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :— **नैनीताल वन प्रभाग अर्न्तगत नैनीताल में धामपुर बैण्ड क्षेत्र में सुरई हरे खडे वृक्षों को गर्डलिंग कर सूखाये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **महोदय के साथ दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा स्वयं दिनांक 03.04.2022 को वन क्षेत्राधिकारी, नगरपालिका वन क्षेत्र श्री प्रमोद चन्द्र तिवारी, श्री देव सिंह शाही उप वन क्षेत्राधिकारी, श्री रणजीत सिंह थापा, वन दरोगा, श्री संतोष गिरी, वन दरोगा, श्री निमीष दानू, उपनल श्रमिक तथा श्री सूरज नयाल, वाहन चालक के साथ मौके पर जा कर सम्बन्धित भूखण्ड का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि सुरई प्रजाति के 07 वृक्षों जिनका विवरण निम्नानुसार है, 30-40 वर्ग व्यास के 02, 10-20 वर्ग व्यास के 01, 20-30 वर्ग व्यास के 03 तथा 40-50 वर्ग व्यास के 01 वृक्षों को तने पर गर्डलिंग कर सूखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूखण्ड श्री अपराजित जमवाल निवासी जम्मू तवी, जम्मू एण्ड कश्मीर का है। वर्तमान में वह इस स्थान पर निवास नहीं करते है, तथा उनके द्वारा इस भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। सम्भवतया किसी शरारती तत्व के द्वारा ये कृत्य किया गया हो। जिस सम्बन्ध में वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध नगरपालिका बायलॉज के अर्न्तगत H-2 केस दर्ज किया गया है। मौके पर मेरे द्वारा वन क्षेत्राधिकारी को सख्त निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में अपराधी का जल्द से जल्द पता लगाकर नियमानुसार मुआवजा वसूलने की कार्यवाही की जाये। यदि अपराधी द्वारा उक्त कार्य किसी दुर्भावना से किया गया हो तो मुआवजा के साथ–साथ अन्य कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये।

अतः सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय

(टी0आर0 बीजूलाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(टी0आर0 बीजूलाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

संलग्नक-9 45

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)
ओक पार्क हाउस, नैनीताल — 263001

पत्रांक :- 720 /10-निर्माण/2021-22 दिनांक 20/5/ 2022

सेवा में,
वन-क्षेत्राधिकारी,
नगर पालिका क्षेत्र,
नैनीताल

विषय :- सूखाताल झील को रीचार्जिंग जोन एवम् टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

पर्यटन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना "पूंजीगत कार्यों हेतु राज्यों के लिये विशेष सहायता योजना केन्द्र पोषित" के अन्तर्गत सूखाताल को रीचार्ज जोन एवम् पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के कार्य हेतु निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

अवगत कराना है कि योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन नैचुरल झील की परिधि में पॉपलर के 16 नग पेड़ जो पूर्णतया सूखे हुए है एवम् तने भी सड़ चुके है, जिस कारण उक्त वृक्षों का झील क्षेत्र में गिरने का भय बना हुआ है जिससे हानि का खतरा है एवम् निगम कार पार्किंग, सूखाताल भवन के दाँयी ओर रिसेप्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, रिसेप्शन के ले-आउट करने पर ज्ञात हुआ कि पॉपलर का 01 वृक्ष रिसेप्शन ऐरिया में आ रहा है जिसका कटान आवश्यक है, अनुरोध है कि उक्त चिन्हित पेड़ के कटान हेतु पातन समिति को अग्रिम कार्यवाही किये जान हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि योजना की कार्य प्रगति बाधित ना हो।

(संलग्न - फोटोग्राफ्स उक्तानुसार)

वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका वन रा‌जि नैनीताल
पत्रांक 1512/23 दिनांक 21/5/2022

श्री [illegible] उप[illegible] कृपया आवेदन जाँच कर जाँच आख्या प्रस्तुत करें

सहायक अभियन्ता
नैनीताल

सम्पर्क :- कार्यालय : 231437, 231985, 236043 फैक्स : 91-5942-236897
ई-मेल : kmvn@yahoo.com वेबसाइट : www.kmvn.gov.in

महोदय

स्थल पर निम्न वृक्ष स्थित है,
(1) पापुलर के सूखे 20-30 वर्ग व्यास के = 10
(2) पापुलर के सूखे 30-40 वर्ग व्यास के = 06
(3) पापुलर का हरा वृक्ष 40-50 वर्ग व्यास मेंगी = 01

अतः सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है,

(हस्ताक्षर)
देव सिंह शाही
उप ग्राम म० पं० ग्राम नै०

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

महोदय, उपरोक्तानुसार श्री देवसिंह शाही उपरोक्त की जाँच आख्यानुसार पोपुलर सूखे 16 वृक्ष तथा पोपुलर हरा वृक्ष 40-50 वर्ग व्यास के पातन की संस्तुति की जाती है।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 5431 / 23–1 दिनांक, नैनीताल 24/05/2022

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
कु0म0वि0नि0 नैनीताल।

विषयः– सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवम् टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के कार्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र सं0 720 / 10–निर्माण / 2021–22 दि0 20.05.2022।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवम् टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के कार्य जाने के दौरान निम्न वृक्ष आ रहे है। आपके प्रार्थना में पत्र निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:–

क्र0सं0	प्रजाति व वृक्षों की व्यास श्रेणी	निर्णय का विवरण	पातन अवधि
1	2	3	4
1	पापुलर के सूखे 20–30 वर्ग व्यास सेमी0	10 सूखे वृक्ष पातन	तीन माह तक।
2	पापुलर के सूखे 30–40 वर्ग व्यास सेमी0	06 सूखे वृक्ष पातन	तीन माह तक।
3	पापुलर का हरा वृक्ष 40–50 वर्ग व्यास सेमी0	01 हरा वृक्ष पातन	तीन माह तक।

नोटः– वृक्षों की शाखाओं तरासी/पातन वृक्ष स्वामी को विभागीय कर्मचारी के समक्ष करनी होगी तथा वृक्ष के कटे स्थान पर कोलतार लगाना होगा। स्वीकृत वृक्ष /शाखा के एवज में दुगने पौधों का रोपण भी करना होगा एवं उक्त वृक्ष की शाखाओ के पुनः पातन अनुमति के लिए एक वर्ष उपरान्त ही प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जायेगें। शाखा पातन/वृक्ष पातन से किसी भी प्रकार के नुकसान की जवाबदेही सम्बन्धित आवेदनकर्ता की होगी। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद के लिये आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरादायी होगा।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक ..... / ..... उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि शजि अधिकारी नगरपालिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वृक्ष छपान कर 1000/– (एक हजार) रूपया प्रति वृक्ष शुल्क व रू0 100(एक सौ) प्रति शाख वसूल कों।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी नगरपालिका वन रेंज नैनीताल
पत्र 1536/23-1 । दिनांक 27/5/2022

लोवर लेक की परिधि में स्थित पॉपलर के सूखे वृक्ष

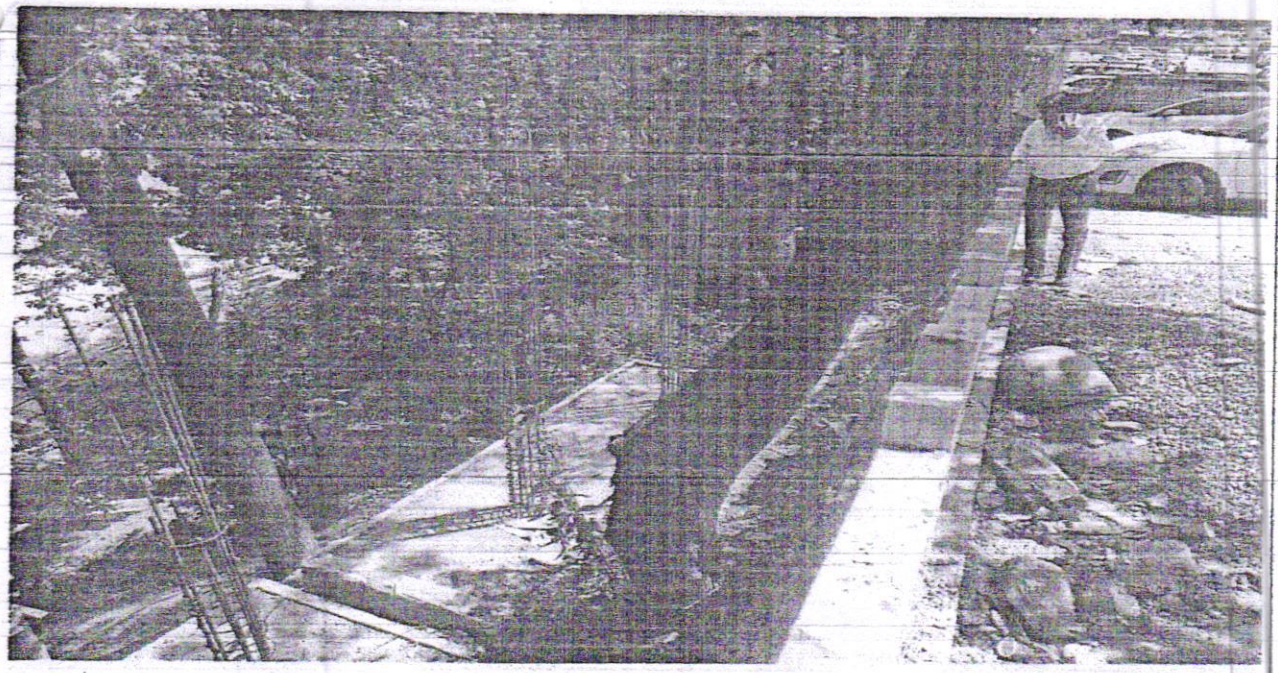

ट्राँजिट क्षेत्र में आ रहा पॉपलर का वृक्ष

50

संलग्नक-10

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा० राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण में योजित मूल आवेदन संख्या - 518/2022 में पारित आदेश दिनांक 01-09-2022 के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2022 को गठित समीति के सदस्यों तथा मूल आवेदनकर्ता श्री विवेक वर्मा तथा अन्य की उपस्थिति में निकट अरोमा होटल, घामपुर बैण्ड, मोदी भवन किल्बरी रोड तथा टीपन टॉप का स्थलीय निरीक्षण किया गया, गठित समीति के सदस्यो के निर्देशानुसार नारायणनगर लैन जोन, नगर पालिका पालिका परिषद नैनीताल (प्राईवेट लैण्ड) का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, दौराने निरीक्षण 09 पेड़ो के खूंट पाये गये, जिनका विवरण निम्न है -

1) पदम - 01 पेड़ गोलाई 0—10"
2) मकौल - 01 पेड गोलाई 0—10"
3) खरसू - 05 पेड गोलाई 0—10"
4) खरसू - 01 पेड गोलाई - 20"-30"
5) खरसू - 01 पेड गोलाई - 30"-40"

उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

23.09.2022
(stamp) [illegible]

व० प्र०
नगरपालिकाक्षेत्र
[illegible]

Rajendra
व० आरक्षी
नगरपालिका रजि०

संलग्नक-11

एच०-९

वन विभाग, उ० प्र०, सर्किल प्रकाष्ठ सम्भरण वृत्त

38 **नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल** 88

वन अपराध नी॰ क॰ प्रसूचना सं० 01 दिनांक 20/04/2022 रेंज नगरपालिका

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान — अज्ञात

2- साक्षी का नाम — स्वयं तथा मनीष पैन्यूली फ्लाइंग (उपनल) लैण्डस्लाइड बीट

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — दि॰ 20/4/2022 को प्रातः गश्त के दौरान स्नोडन कम्पाउण्ड निकट बाणपुर बैण्ड नैनीताल में एक खरशू वृक्ष (20-30) वर्ष आस का कटा पाया गया

4- मूल्य — रेंज केस सं० 05/न०पा० नी॰क॰ 2022-23

5- चालान और अनुसंधान (इन्भीस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — नगरपालिका बाईलॉज 1916 के अन्तर्गत जुर्म केस दर्ज किया गया।

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और आदि का उल्लेख — महोदय जुर्म केस आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

हरीश चन्द्र आर्य
हरीश चन्द्र आर्या
वन दरोगा
लैण्डस्लाइड बीट
नगरपालिका रेंज

प्राथमिक प्रसूचना श्रीमान प्र०व० नैनीताल द्वारा श्रीमान उ०प्र०व० नैनीताल के सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
नगरपालिका वन क्षे.
नैनीताल वन प्रभाग नै

10A/05/ न० जा० 2015/22

कुल मेडल नं० पत्र गया २८

आरक्ष छत्रत की

[illegible]

प्रभारी [illegible] अधिकारी,

[illegible]

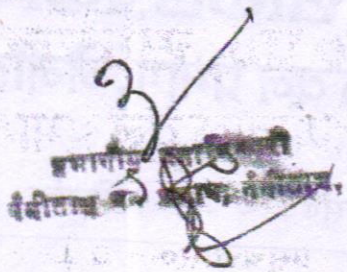

संलग्नक-12

एच०-९

वन विभाग, उत्तरांचल, सर्किल प्रकाष्ठ सम्भरण वृत्त

नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

11

5

वन अपराध निजी कम्पाउण्ड प्रसूचना सं०० ५ (चार) दिनांक 2-11-2021 रेंज नारायणनगर

1- नाम, पिता का नाम और निवास केयर टेकर मनोज कुमार
स्थान होली सनजलस स्कूल निकट अरविन्द आश्रम मल्लीताल नैनीताल

2- साक्षी का नाम स्वयं व.द., देवेन्द्र कुमार (श्रमिक)

3- कथित अपराध का पूरा विवरण आज दि०2-11-021 को गश्त के दौरान उपरोक्त
और दिनांक नाम दर्ज व्यक्ति द्वारा ~~होली सनजलस स्कूल परिसर के समीप~~ 0.10 वर्ग सेमी० स्थान के तिलौंज, बांज की 1-(5) पोल (2) 6 पोल और झाड़ियां कटी पाई गई, जो कि म्यूनिसिपल बाय लॉज 1916 के अन्तर्गत अपराध है, अपराधी द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया है।

4- मूल्य

रेंज केस सं० 34/नगपाल/2021-22 (नी०ना०)

5- चालान और अनुसंधान म्यूनिसिपल बाय लॉज 1916 के अनुसार
(इन्मीस्टिगेशन) के सम्बन्ध में जुर्म इजराय किया गया,
विशेष कथन 1881/जु/न०पा०/2-11-21
स्वीकार / प्रशमन धन 5000/- पांच हजार रु० मात्र

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और आदि का उल्लेख
प्रतिलिपि अनुभाग कार्यवाही और वन दरोगा को मामले की शीघ्र छानबीन कर आवश्यक मुक्तचयन हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Ranjeet Singh Thapa
(रणजीत सिंह थापा)
व.द.
लेक ब्रिज बीट

वन क्षेत्राधिकारी
नारायणनगर वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग

अन्तिम प्रसूचना - रेंज केस सं. 34/नठपा०वर्ष 2021-22 निजी वनभूमि

अपराधी का नाम व पता - बेयर टेकर मनोज कुमार
स्थान - होली सेन्जवास स्कूल नियर अरविन्द
आश्रम मल्ताल नैनीताल

साक्षी का नाम - श्री रणजीतसिंह वन दरो०, श्री देवेन्द्र श्रमिक,

अपराध का विवरण - दि० 2-11-2021 को होली सेन्जवास स्कूल अयारपाटा बीट में गश्त के दौरान उपरोक्त व्यक्ति द्वारा स्कूल परिसर की सफाई करवाने के दौरान 0-10 C.M. व्यास के निम्नानुसार पौध व झाड़ी काटी पायी गयी,
1- तिलौंज का पुपोल कांकिर के 6 पोल कुल 11 पोल

बयान व अनुसंधान - जाँच के दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया, अदालती कार्यवाही नहीं चाही गयी, तथा विभागीय मुआवजा देने को तैयार है,

तदनुसार सुने सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा में प्रेषित।

DR मद सं० 1/नैनीताल माह 11/2021 व क्र०सं० 83637 दि० 11-11-2021 के अनुसार रु० 5000=00 मात्र मुआवजा वसूल किया गया है।

(माधवानन्द जोशी)
व० द० र०

सेवा में,
श्रीमान प्रभारीय वनाधिकारी नैनीताल व०प्र०नै०
द्वारा - उप प्रभागीय वनाधिकारी नै० व०प्र०नै०

महोदय,
प्रस्तुत कम्पाउंड केस सं० 34/न०पा०/2021-22 नि०व० में रु० 5000/- मात्र में मुआवजे के रूप में वसूल किया गया है मैं क्षेत्रीय अधिकारी की जांच से सहमत हूँ। तथा इसे केस को प्रशमित करने की संस्तुति करता हूँ। मुआवजे की वसूली DR मद सं० 1/नैनीताल/माह 11/2021 व क्र०सं० 83637 दि० 11-11-2021 के अनुसार की गयी है।

वन क्षेत्राधिकारी
नारायणनगर क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल